46

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

छियालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)

छियालीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

23.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

23.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, *2023/* चैत्र, *1945* (शक)

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2022-23)		
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन		
अध्याय एक	**प्रस्तावना**	1
अध्याय दो	**बजटीय आवंटन और उपयोग**	8
अध्याय तीन	**एससी और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति**	33
अध्याय चार	**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति**	40
अध्याय पांच	**एससी, ओबीसी और अन्य छात्रों के लिए यंग अचीवर्स उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (श्रेयस)**	45
अध्याय छह	**प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)**	64
अध्याय-सात	**अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र (श्रेष्ठ) में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना**	74
अध्याय-आठ	**राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टसम स्कीसम (नमस्ते)**	78
अध्याय-नौ	**अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही (पीएम दक्ष)**	88
अध्याय- दस	**वरिष्ठस नागरिक**	97
एक*		
दो*		
परिशिष्ट	**टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण**	

* **बाद में संलग्न किया जाएगा।**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
(2022-23) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक अधिकारी (देव)
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतर सिंह दरबार
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोड़ा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. सरदार सिमरन जीत सिंह मान
16. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के. षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्री रामजी
30. श्री अंतियुर पी.सेल्वरासू
31. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक

लोक सभा सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2. श्री वेद प्रकाश नौरियाल	-	संयुक्त सचिव
3. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
4. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित 'वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगें' विषय पर यह छियालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

2. समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया जिसे 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों, व्याख्यात्मक टिप्पण, आदि प्राप्त करने के बाद समिति ने 16 फरवरी, 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2023 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (समिति सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अधिकारियों को अनुदानों की मांगों' (2023-24) की जांच के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने और समिति की इच्छानुसार विस्तृत लिखित टिप्पण और सक्ष्योपरांत सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
22मार्च, 2023
01चैत्र, 1945 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक

प्रस्तावना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आख्रथक रूप से उपेक्षित वर्गों का सशक्तिकरण करना है जिसमें (एक) अनुसूचित जातियां, (दो) अन्य पछड़े वर्ग, (तीन) वरिष्ठ नागरिक, (चार) मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित, (पांच) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, **2019,** (छह) भिखारी, (सात) विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी) और (आठ) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और (नौ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) शामिल हैं। यह विभाग अपने कार्यक्रमों तथा स्कीमों के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण में प्रयासरत है जिसमें लक्ष्य समूहों के सदस्यों की उनकी समृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है।

1.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती हैं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से कुछ को केन्द्र सरकार द्वारा **100%** सहायता प्रदान की जाती हैं जबकि अन्य को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझाकरण आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें और केन्द्र प्रायोजित स्कीमें निम्नानुसार हैं:

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

एक. <u>अनुसूचित जाति कल्याण योजनाएं</u>

1. अनुसूचित जातियों के लिए युवा अचीवर्स योजना के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (श्रेयस)

   क. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

ख. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
ग. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा
घ. अनुसूचित जातियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

2. लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की स्कीम श्रे)ष्ठ)
3. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते)
4. अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स
5. प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना)

दो. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

6. **आजीविका और उद्यम के लिए लाभवंचित व्यक्तियों के लिए सहायता (इलस्मा)**

क. भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे लोगों का व्यापक पुनर्वास
ख. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास

तीन. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएं

7. पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)
8. ओबीसी के लिए पीएम दक्ष योजना
ओबीसी और ईबीसी हेतु यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
   क. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
   ख. ओबीसी के विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी
10. डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना (सीड)

चार. अन्य

11. सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

अनुसूचित जाति कल्याण योजनाएं

1. एससी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति **
2. प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) *
3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी को सुदृढ़ बनाना **
4. एससी और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति **

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

5. अटल वयो रोजगार योजना (अव्यय) **
6. नशीली दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) *

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएं

7. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम यशस्वी) *

    क. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
    ख. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
    ग. अपिव के लिए बालक और बालिका छात्रावास
    घ. टॉप क्लास विद्यालय
    ड.. टॉप क्लास कॉलेजेज

* ये योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% समर्थित हैं।

** इन स्कीमों का वित्तपोषण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है।

1.3 इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, विभाग के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विधान, नीतियों और दिशा-निर्देशों को तैयार करने/उनके उन्नयन का कार्य करता है। यह विभिन्न मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है जिसमें (एक) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, (दो) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, (तीन) माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007, (चार) हाथ से मैला उठाने वाले कमियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और (पांच) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 शामिल हैं। विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति, 1999 का भी संचालन किया जाता है।

1.4 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित स्वायत्त निगमों का भी सहयोग करता है: –

(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी);
(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी);
(iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

1.5 वर्ष 2023-24 के दौरान, वित्त मंत्रालय ने 13877.25/- रुपये की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 12847.02 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विभाग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 11603.11 करोड़ रुपये, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 976.86 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2023-24 के लिए प्रत्येक योजना के तहत किए गए आवंटन और 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**%भिन्नता**
2020-21	10103.57	8207.56	8236.84	-5.74
2021-22	10517.62	10180.00	7459.99	-9.43
2022-23	11922.51	10709.94	3488.43 (15.2.2023 तक)	-53.23

1.6 पिछले वर्ष के दौरान कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के अनुसार विभाग ने कार्यक्रम/स्कीमों के बेहतर निष्पादन के लिए संशोधन किए हैं। कतिपय योजनाओं/कार्यक्रमों में शुरू किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

(एक) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

वर्ष **2020-21** से, फंडिंग पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच **60:40 (**उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में **90:10)** में बदल दिया गया है। **2021-22** से, केंद्रीय हिस्सा डीबीटी द्वारा केवल लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी किया जा रहा है और **2022-23** से संवितरण के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाना है।

(दो) एससी और अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

वित्तपोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच **60:40** के अनुपात में साझाकरण के निश्चित अनुपात पर आधारित है। **2021-22** से **(**पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में **90:10**। विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए **100%** धन केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा**), 2022-23** से छात्रों को केंद्रीय हिस्सा डीबीटी के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा और **2022-23** से संवितरण के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाना है।

(तीन**) प्रधानमंत्री-अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)**

2022-23 से आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत गांवों की पहचान के लिए चयन मानदंड **50%** से घटाकर **40%** अनुसूचित जाति की आबादी कर दिया गया है। तदनुसार, **2022-23** के दौरान **40%** अनुसूचित जाति की आबादी के साथ **11500** नए गांवों का चयन किया गया। **2014-15** से **31,000** गांवों का चयन किया गया है और **35.58** लाख लोगों को लाभ हुआ है। एससीए टू एससीएसपी के तहत, आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता **10,000** रुपये से बढ़ाकर **50,000** रुपये कर दी गई है। **2014-15** से **30.03** लाख लाभार्थियों की मदद के लिए **6400.32** करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

(चार**) अनुसूचित जातियों के लिए श्रेयस**

(क) राष्ट्रीय समुद्रपारीय योजना (एनओएस) के तहत वार्षिक स्लॉटों की संख्या **100** से बढ़ाकर **125** कर दी गई है। पुलिस सत्यापन को समाप्त किया गया।

(ख) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी स्कीम (टीसीएस) के अंतर्गत शुल्क और शैक्षिक भत्ते दोनों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है जिससे संस्थानों से यूसी की अधिप्राप्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

(ग) टीसीएस के तहत नए छात्रों के लिए **86,000** रुपये और नवीकरण छात्रों के लिए **41,000** रुपये का समान शैक्षणिक भत्ता। वाउचर आदि की आवश्यकता बंद।

(घ) एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना (एफसीएस) के तहत छात्रों को अपने पसंदीदा संस्थान का चयन करने की अनुमति दी गई है।

(ड.) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) के तहत, शीघ्र रिलीज सुनिश्चित करने और मासिक पुष्टि की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया।

(पांच**) मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना**

एसआरएमएस के तहत **2021-22** से स्वरोजगार परियोजना के लिए परियोजना लागत **10.00** लाख रुपये से बढ़ाकर **15.00** लाख रुपये कर दी गई है, स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी की राशि को **3.25** लाख रुपये से बढ़ाकर **5.00** लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, लाभार्थियों के समूह को भी परियोजनाओं के लिए सहायता हेतु पात्र बनाया गया है। एसआरएमएस को **97.41** करोड़ रुपये के आवंटन के साथ **2023-24** से नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) के रूप में लागू किया जाना है। लगभग **1.00** लाख सीवर और सेप्टिक टैंक कामगारों को लाभान्वित करने के लिए **4800+** यूएलबी को कवर किया जाना है।

(छ:**)** वाइब्रेंट के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी)

पीएम-यशस्वी छत्रक योजना के तहत निम्नलिखित पांच स्कीमों को उप-स्कीम बनाया गया है:

(i) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,

(iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास स्कूल शिक्षा (नया हस्तक्षेप)

(iv) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा **(**नया हस्तक्षेप)

(v) ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

1.7 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रत्येक योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों के उपयोग पर इस प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में विचार किया गया है।

अध्याय-दो

<u>बजटीय आवंटन</u>

2.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगें मांग संख्या 93 के अंतर्गत दी गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संबंध में विस्तृत अनुदानों की मांगों को 10 फरवरी, 2023 को सभा के पटल पर रखा गया।

2.2 वित्त मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा की गई **13872.25** रुपये की अनुमानित अपेक्षा के मुकाबले वर्ष **2023-24** के लिए **12,847.02** करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष **2023-24** के लिए विभाग के प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के बजटीय अनुमानों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक योजना/कार्यक्रम पर विभाग के बजटीय अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम/स्कीम	**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**			ब.अ. 2023-24
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (31.12.2022 तक)	
स्कीम										
एससीडीप्रभाग										
एससीके लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति	2987.33	3815.87	4010.16	3415.62	4196.59	1978.56	5660.00	5660.00	2500.22	6359.14
प्रधानमंत्री अनुसूचित जातिअभ्युदय योजना (पीएम-अजय)				1800.00	1800.00	1820.32	1950.00	1062.39	29.34	2050.00
अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेषकेंद्रीय सहायता	1200.00	300.00	387.00	पीएम-अजय के साथ विलयित						
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	700.00	300.00	216.52							
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	30.00	30.00	56.40							
एससी और अन्य केलिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	700.00	600.00	569.52	725.00	725.00	570.39	500.00	500.00	0.56	500.00
अस्वच्छ व्यवसायों में लगेव्यक्तियों के बच्चों को	25.00	27.00	26.81	एससी और अन्यों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के साथ विलयित						

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति										
*पीएम-अजय-डीएपीएससी								950.00		
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	550.00	600.00	593.39	600.00	600.00	610.11	600.00	500.00	75.54	500.00
मैंनुअल स्केवेंजरों के पुंनर्वासके लिए स्व-रोजगार स्कीम	110.00	30.00	16.60	100.00	43.31	39.00	70.00	70.00	5.00	0.00
राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वछच्ताइकोसिस्टम कार्य योजना (नमस्ते)										97.41
लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों के छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) (पूर्व में एससी के लिए स्वैच्छिक संगठनोंको सहायता)	100.00	125.00	55.81	200.00	63.21	38.04	89.00	89.00	31.61	104.65
एससी के लिए यंग अचीवर्स संबंधीउच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्कीम (श्रेयस)										
11.01 एससी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	300.00	125.00	119.00	300.00	125.00	122.44	173.00	159.00	85.00	163.00
11.02 एससी और ओबीसी के लिए नि:शुल्क कोचिंग	30.00	30.00	11.97	50.00	30.00	14.98	47.00	27.00	13.03	47.00
11.03 एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	40.00	50.00	52.88	70.00	70.00	84.72	108.00	108.00	7.44	111.00
11.04 एससी के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	20.00	30.00	33.09	30.00	35.00	49.07	36.00	50.00	23.67	50.00
कुल: एससी के लिए यंग अचीवर्स संबंधी उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति स्कीम (श्रेयस)	390.00	235.00	216.93	450.00	260.00	271.21	364.00	344.00	129.14	371.00
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमोंको सहायता	50.00	20.00	15.86	25.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
वंचित इकाई समूह और वर्गों कीआर्थिक सहायता (विस्वास) योजना (एससी के लिए आवंटन)	0.00	32.13	10.00	100.00	10.00	0.00	50.00	0.01	0.00	0.01
एससी और ओबीसी के लिए उद्यम पूंजीनिधि (एससी के लिए आवंटन)	65.00	40.00	30.00	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00

"प्रधानमंत्री दक्षता औरकुशलता संपन्न" हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना (अनुसूचित जाति के लिए आवंटन)"				60.00	38.94	33.21	40.00	40.00	0.00	43.73
अनुसूचित जातियों के लिए ऋणगारंटी निधि	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
अनुसूचितजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	स्कीम बंद कर दी गई									
कुल एससीडीप्रभाग	**6908.33**	**6155.00**	**6204.98**	**7575.62**	**7807.06**	**5430.84**	**9393.01**	**9285.40**	**2771.41**	**10095.94**
समाज रक्षा,मीडिया औरअनुसंधान										
सूचना,निगरानी,मूल्यांकन औरसामाजिक लेखा-परीक्षा	20.00	5.00	2.78	25.00	25.00	17.82	19.50	19.50	9.52	20.00
अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) (पूर्व में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना)	204.00	153.00	133.31	300.00	150.00	96.54	150.00	140.00	42.98	294.97
नशीली दवा कीमांग में कमी लाने के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00	180.00	149.43	260.00	200.00	90.93	200.00	200.00	51.53	311.00
आजीविका और उद्यम के लिए लाभ वंचितव्यक्तियों को सहायता (स्माइल)										
भिखारियोंके पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	100.00	0.00	0.00	50.00	10.00	0.05	15.00	15.00	0.26	20.00
ट्रांसजेंडरव्यक्तियों के लिए स्कीम	10.00	0.00	0.00	20.00	25.00	1.91	30.00	30.00	0.03	52.91
कुल:आजीविका और उद्यम के लिए लाभ वंचित व्यक्तियों को सहायता(स्माइल)	110.00	0.00	0.00	70.00	35.00	1.96	45.00	45.00	0.29	72.91
राष्ट्रीयवयोश्री योजना	1.00	0.00	26.50	स्कीम को एवीवाईएवाई अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के साथ विलयित कर दिया गया है।						
कुल समाज रक्षा	**595.00**	**338.00**	**312.02**	**655.00**	**410.00**	**207.25**	**414.50**	**404.50**	**104.32**	**698.88**
पिछड़ा वर्ग प्रभाग										
ओबीसी,ईबीसी औरडीएनटी के संबंध में वायब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्तिअवार्ड स्कीम (पीएम यशस्वी)										
ओबीसी केलिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1415.00	1100.00	1159.59	1300.00	1300.00	1319.96	1083.00	1083.00	35.20	1087.00
ओबीसीके लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	250.00	175.00	165.85	250.00	250.00	218.46	478.00	394.61	0.00	281.00
उत्कृष्टश्रेणी विद्यालय								83.39		100.00

उत्कृष्टश्रेणी महाविद्यालय										90.00
ओबीसी बालकों एवं बालिकाओं केलिए छात्रावास	50.00	35.00	31.59	30.00	30.00	18.76	20.00	20.00	6.59	30.00
कुल:ओबीसी,ईबीसी और डीएनटी के लिएवायब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)	1715.00	1310.00	1357.02	1580.00	1580.00	1557.18	1581.00	1581.00	41.79	1588.00
ओबीसी, डीएनटी औरईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता	50.00	50.00	47.29	स्कीम को पीएम-दक्ष के साथ विलयित कर दिया गया है						
विमुक्त और घुमंतू जनजातियों केशैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए स्कीम	10.00	10.00	9.00	स्कीम को पीएम-यशस्वी के साथ विलयित कर दिया गया है						
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों केलिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	25.00	25.00	25.00							
ओबीसी और ईबीसी के लिए यंगअचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के संबंध में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति										
ओबीसीऔर ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	120.00	45.00	33.00	100.00	60.00	55.55	53.00	53.00	45.84	57.00
ओबीसीछात्रों को समुद्रपारीय अध्ययन के लिए ब्याज पर सब्सिडी	35.00	35.00	32.61	30.00	30.00	26.70	27.00	27.00	23.80	29.00
कुल: ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स संबंधी उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तिस्कीम (श्रेयस)	155.00	80.00	65.61	130.00	90.00	82.25	80.00	80.00	69.64	86.00
वंचित इकाई समूह और वर्गों कीआर्थिक सहायता (विस्वास) योजना (ओबीसी के लिए आवंटन)	0.00	32.00	10.00	50.00	10.00	0.00	30.00	0.01	0.00	0.01
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलतासंपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) योजना (ओबीसी के लिए आवंटन)				40.00	40.54	35.02	44.00	44.00	0.00	48.74
डीएनटी/एनटी/एसएनटी की आर्थिकसशक्तिकरण स्कीम (एसईईडी)				50.00	40.40	0.21	28.00	28.00	2.13	40.40
एससी और ओबीसी के लिए उद्यम पूंजीनिधि (ओबीसी के लिए आवंटन)	60.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	0.00	22.00
कुल पिछड़ा वर्गप्रभाग	**2015.00**	**1517.00**	**1513.92**	**1870.00**	**1780.94**	**1694.66**	**1803.00**	**1773.01**	**113.56**	**1785.15**

विभागकी सभी स्कीमों का सकल योग	**9518.33**	**8010.00**	**8030.92**	**10100.62**	**9998.00**	**7332.75**	**11610.51**	**11462.91**	**2989.29**	**12579.97**	
गैर-स्कीमें											
स्थापना											
एसजेई विभाग का सचिवालय	60.00	55.54	51.36	67.00	67.00	55.05	66.00	66.00	44.82	72.00	
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	25.00	25.00	15.83	27.00	27.00	19.07	30.00	30.00	16.02	35.00	
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	10.00	5.95	4.31	10.00	10.00	5.53	11.00	11.00	2.39	12.00	
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	8.00	10.00	9.39	12.00	12.00	9.11	15.00	15.00	2.74	20.00	
जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नए व्यक्तियों कोअनुसूचित जाति का दर्जा देने की मामले की जांच करने के लिए आयोग, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातिके होने का दावा करते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद341 के तहत समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशोंमें उल्लिखित धर्म के अलावा अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं।											
कुल स्थापना	**103.00**	**96.49**	**80.89**	**116.00**	**116.00**	**88.76**	**122.00**	**122.00**	**65.97**	**142.05**	
अन्य											
अन्य विविध व्यय								10.00		10.00	
स्वायत्त निकाय/ग्रांटी निकाय											
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	40.00	
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	35.00	4.70	28.88	20.00	20.00	3.00	20.00	20.00	9.10	30.00	
डॉ. बी.आर. अम्बेडकरअंतर्राष्ट्रीय केंद्र	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	14.68	30.00	30.00	18.82	0.00	
डीएनटी के लिए विकास और कल्याणबोर्ड	1.24	0.30	0.15	5.00	5.00	4.80	5.00	5.00	2.32	5.00	
कुल स्वायत्तनिकाय	**62.24**	**31.00**	**55.03**	**51.00**	**61.00**	**33.48**	**65.00**	**65.00**	**40.24**	**75.00**	
इक्विटी सहायता											
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त औरविकास निगम	180.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.01	0.00	15.00	
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी	40.00	40.00	40.00	50.00	5.00	5.00	25.00	0.01	0.00	10.00	

वित्त औरविकास निगम										
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवंविकास निगम	200.00	30.07	30.00	100.00	0.00	0.00	50.00	0.01	0.00	15.00
कुल इक्विटी सहायता	**420.00**	**70.07**	**70.00**	**250.00**	**5.00**	**5.00**	**125.00**	**0.03**	**0.00**	**40.00**
कुल गैर-स्कीमें	**585.24**	**197.56**	**205.92**	**417.00**	**182.00**	**127.24**	**312.00**	**197.03**	**106.21**	**267.05**
कुल स्कीम + गैर स्कीमें	**10103.57**	**8207.56**	**8236.84**	**10517.62**	**10180.00**	**7459.99**	**11922.51**	**10709 94**	**3095.50**	**12847.02**

2.3 पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग के बजट में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान**	**विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि**
2018-19	7750.00	12.19%
2019-20	8885.00	14.65%
2020-21	10103.57	13.71%
2021-22	10517.62	4.10%
2022-23	11922.51	13.36%
2023-24	12847.02	7.75%

2.4 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित नई स्कीमें शुरू की गई हैं और पुरानी स्कीमों को संशोधित/विलयित कर दिया गया है:

क्र.सं.	**2021-22**		**2023-24**
	स्कीमें		**स्कीम**
	एससीडी डिवीजन		
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
		2	**अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति**
2	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप		अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
3	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी		अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

	छात्रवृत्ति		
4	अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा		अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा
5	एससी और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग		एससी और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग
6	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	3	प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)
7	बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना		
8	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता		
9	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण	4	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण
10	जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	5	अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र (श्रेष्ठ) में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना
11	जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	6	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
12	जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा		
13	एससी और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग	7	योजना बंद कर दी गई
14	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	8	यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते)
15	बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना	9	अनुसूचित जाति के लिए वंचित इकई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना
16	सूचना जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	10	एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)।
		11	अनुसूचित जातियों के लिए प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)
17	अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट गारंटी फंड		
	कुल एससीआर डिवीजन		
	सामाजिक रक्षा, मीडिया और अनुसंधान		
18	शराब और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए योजना		
19	अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन		
20	वीओ को सहायता। सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए		
	(वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना)	12	**अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय)**

21			
22	राष्ट्रीय वयोश्री योजना		
23	नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक द्रव्यों के सेवन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण		
24	ड्रग डिमांड रिडक्शन पर राष्ट्रीय कार्य योजना	13	नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)
		14	**आजीविका और उद्यम के लिए उपेक्षित व्यक्तियों के लिए समर्थन (मुस्कान)**
25	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम		भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास
26	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना		ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास
	कुल सामाजिक रक्षा		
	पिछड़ा वर्ग संभाग		
		15	**ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया (पीएम यशस्वी) के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना**
27	ओबीसी को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप		ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
28	ओबीसी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति		ओबीसी ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
29	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति		
30	डीएनटी के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए योजना		
31	ओबीसी के लिए लड़कों और लड़कियों के छात्रावास		ओबीसी के लिए लड़कों और लड़कियों के छात्रावास
			अव्वल दर्जे का स्कूल
			टॉप क्लास कॉलेज
32	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता	16	ओबीसी और अन्य के लिए प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष)
		17	**ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति**
33	ओबीसी के विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी		ओबीसी के विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी

34	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप		ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
35	विश्वास योजना (ओबीसी)		ओबीसी के लिए वंचित इकई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना
36	ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड		ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)।
		18	डीएनटी/एनटी/एसएनटी (सीड) के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना
	कुल पिछड़ा वर्ग संभाग		
37	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	19	सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखापरीक्षा (I-एमईएसए)

2.5 पीएफएमएस प्रभाग, व्यय विभाग के दिनांक 23.3.2021 के परिपत्र और दिनांक 16.02.2023 के आगे संशोधन के अनुसार, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों को जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए समिति के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय द्वारा संदर्भित एक संशोधित प्रक्रिया का उद्धहरण देना उचित है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:-

> "सामान्य वित्तीय नियम 232 (वी) राज्य सरकारों को निधि जारी करने और पीएफएमएस के माध्यम से निधि के उपयोग की निगरानी करने को निर्धारित करता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए और निधि दोहराव को कम करने के लिए, व्यय विभाग ने दिनांक 16.12.2020 के सम संख्या के पत्र के माध्यम से सीएसएस के तहत निधियां जारी करने के लिए एक संशोधित प्रक्रिया का मसौदा सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया था ताकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया गया और प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन किया गया है। अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई 2021 से सीएसएस के अंतर्गत निधियों के जारी करने और उपयोग की निगरानी के संबंध में सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:-

(क) प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए राज्य सरकार द्वारा सरकारी कामकाज करने के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा।

(ख) अम्ब्रेला स्कीमों के मामले में, जिनमें कई उप-स्कीमें हैं, यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकारें पृथक एकल नोडल खातों के साथ अम्ब्रेला स्कीम की उप-स्कीमों के लिए अलग-अलग एसएनए नामित कर सकती हैं।

(ग) कार्यान्वयन एजेंसियों (एलएस) को ऊपर से नीचे तक एसएनए के खाते का उपयोग उस खाते के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित आहरण सीमाओं के साथ करना चाहिए। हालांकि, संचालन आवश्यकताओं के आधार पर, आईएएस की प्रत्येक योजना के लिए जीरो-बैलेंस सहायक खाते भी चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जा सकते हैं।

(घ) सभी जीरो बैलेंस सहायक खातों में संबंधित एसएनए द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और जब भी लाभार्थियों, विक्रेताओं आदि को भुगतान किया जाना है, योजना के एकल नोडल खाते से रियल टाइम के आधार पर आहरित किया जाएगा। उपलब्ध आहरण सीमा उपयोग की सीमा तक कम हो जाएगी।

(ड़) मंत्रालय/विभाग प्रत्येक सीएसएस के केंद्र के हिस्से को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में राज्य सरकार के खाते में जारी करेंगे ताकि एसएनए के खाते में आगे जारी किया जा सके।

(च) योजना का एकल नोडल खाता खोलने के बाद और कार्यान्वित एजेंसियों का जीरो बैलेंस सहायक खाता खोलने या उन्हें एसएनए के खाते से अधिकार प्राप्त करने से पहले, सभी स्तरों पर कार्यान्वित एजेंसी अपने खातों में पड़ी सभी अप्रयुक्त राशि एसएनए के एकल नोडल खाते को वापस कर देंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सभी आईएएस द्वारा व्यय नहीं की गई पूरी निधि संबंधित एसएनए के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। इसके लिए, राज्य सरकारें तौर-तरीकों और

समय सीमा पर काम करेंगी और आईएएस के पास उपलब्ध राशि में केंद्र और राज्य के हिस्से की व्यवस्था करेंगी।

(छ) मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सीएसएस के तहत रिलीज जमीन स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सख्ती से की जाए, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के पास सामग्री का कोई दोहराव न हो।

(ज) राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक में अपने खाते में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एसएनए के खाते में स्थानांतरित कर देगी। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय हिस्से को व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते या किसी अन्य खाते में नहीं भेजा जाएगा। तदनुरूप राज्य का हिस्सा यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए जो कि केन्द्रीय हिस्सा जारी किए जाने के 40 दिनों से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक सीएसएस के एकल नोडल खाते में एसएनए द्वारा निधियों का रखरखाव किया जाएगा। राज्य सरकारें/एसएनए/आईए, योजना के तहत वास्तविक भुगतान को छोड़कर किसी अन्य बैंक खाते में योजना से संबंधित निधियों का अंतरण नहीं करेंगे।

(झ) राज्य सरकारें पीएफएमएस पर एसएनए और सभी आईए को पंजीकृत करेंगी और उन्हें सभी भुगतानों के लिए एसएनए और आईएएस को सौंपी गई अद्वितीय पीएफएमएस आईडी का उपयोग करेंगी। एसएनए, आईए विक्रेताओं और धनराशि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों को भी पीएफएमएस में पंजीकृत किया जाएगा।

(ञ) मंत्रालय/विभाग राज्य कोषागार से एसएनए को निधि (केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा) जारी करने, एसएनए और आईए द्वारा निधियों के उपयोग और प्रत्येक सीएसएस के लक्ष्यों की तुलना में आउटपुट/परिणामों की मासिक समीक्षा करेंगे।

दिशानिर्देशों में उपर्युक्त प्रावधान के आंशिक संशोधन में, समिति ने पाया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र के हिस्से के साथ-साथ राज्य के अनुरूप राज्य के हिस्से को एसएनए खाते में स्थानांतरित करेगी।

इसके अलावा, एसएनए खाते में केंद्रीय हिस्से के हस्तांतरण में 30 दिनों से अधिक की देरी पर 01.04.2023 से 7% प्रति वार्षिक दर से ब्याज वसूलने का निर्णय लिया गया है।

पीएफएमएस प्रभाग, सीजीए कार्यालय भारत की संचित निधि में संबंधित राज्य सरकार द्वारा दंडात्मक ब्याज जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।"

2.6 विभाग की विभिन्न योजनाओं के बीच बजट आवंटित करने से पहले ध्यान में रखे गए कारकों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"ईएफसी/एसएफसी द्वारा अनुशंसित आवंटन के आधार पर और मौजूदा योजनाओं के विलय के प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बजटीय आवंटन किया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के निर्णय के अनुसार, कुल योजना आवंटन का 72.50% एससी कल्याण योजनाओं के तहत किया जाना है।"

2.7 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग न किए जाने के विशिष्ट कारणों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:-

"2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कमी के कारण निम्नवत हैं:-

क) 2020-21 के दौरान, एनएपीडीडीआर के तहत चल रहे केंद्रों का प्रदर्शन कोविड-19 और लॉक-डाउन से प्रभावित हुआ था। एनएपीडीडीआर की स्कीम को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन फरवरी 2022 में प्राप्त हुआ था और इसलिए संशोधित लागत मानदंडों को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया गया था।

ख) वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 90 डीडीएसी खोलने का प्रस्ताव था। तथापि, स्कीम को जारी रखने के अनुमोदन विलंब से प्राप्ति के कारण इन केन्द्रों को खोला नहीं जा सका।

ग) निरीक्षण के दौरान, कई केंद्र गैर-कार्यात्मक पाए गए या कमियों के साथ काम कर रहे थे, इस प्रकार वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कुछ गैर सरकारी संगठनों को जीआईए जारी करना रद्द कर दिया गया।

घ) निरीक्षण के समय उपस्थित पाए गए लाभार्थियों के अनुपात में प्रत्येक एनजीओ/वीओ को निधियां जारी की गई थीं। कुछ नशामुक्ति केंद्रों में कोविड-19 के

कारण लाभार्थियों की संख्या कम थी। भवन के किराए और वेतन जैसी निश्चित लागतों का पूरा भुगतान किया गया था, लेकिन आकस्मिकताओं, परिवहन, खाद्य लागत, कार्यालय व्यय आदि से जुड़े परिवर्तनीय घटकों को निरीक्षण के समय उपस्थित लाभार्थियों के आधार पर जारी किया गया था।

ङ) संगठनों को सहायता अनुदान की दूसरी किस्त प्रतिपूर्ति के आधार पर 50% के स्थान पर 25% की दर से जारी करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

च) परियोजना चयन समिति की तीसरी बैठक के बाद, देश भर में केवल 14 जिला नशा मुक्ति केंद्रों का चयन किया गया है।

2.8 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान व्यय में कमी के संबंध में बताया कि:-

"वर्ष 2021-22 में हमारी कुछ कमी रही थी। अभी हम थोड़े पीछे चले रहे हैं। उसके ऊपर मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, बाकि हम विस्तार में चर्चा करेंगे। वर्ष 2021-22 का हमारा प्रमुख कारण था, जो शॉर्टफाल था, करीब 73 परसेंट हमने खर्च किया था और 27 परसेंट रह गया था। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हम 2,720 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाए थे।

2.9 2022-23 में कम व्यय के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने आगे जानकारी दी कि:-

"यह पांच योजनाओं में बना हुआ है, यह अंतर मुख्य रूप से हो रहा है। कुल अंतर 7,221 करोड़ रुपये है। यदि आप इन पांच योजनाओं को देखें तो यह अंतर 6,342 करोड़ रुपये हो जाता है। दो योजनाएं हैं-एससी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और एससी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति। दोनों योजनाओं में, पूर्व में, हमारे 60 प्रतिशत राशि जारी करने के पहले राज्यों को अपनी 40 प्रतिशत राशि जारी करने के लिए एक वर्ष की अनुमति दी गई थी। अब, इस वर्ष से राज्यों को पहले अपनी 40 प्रतिशत राशि जारी करनी होगी और उसके बाद ही केन्द्र अपनी 60 प्रतिशत राशि जारी कर सकता है। हमारे पास आंकड़े हैं। राज्यों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 45 लाख और उससे अधिक लोगों का सत्यापन किया गया है और राज्य अपना हिस्सा जारी करने की प्रक्रिया में हैं। एक बार जब वे अपना 40 प्रतिशत हिस्सा जारी कर देंगे, तो हम अपना 60 प्रतिशत हिस्सा जारी करेंगे। ऐसा

इसलिए है क्योंकि राज्य विभिन्न कारणों से आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, यही विलंब का कारण है। हमें आशा है कि जो भी राज्य ऐसा करेगा, हम तुरंत अपना हिस्सा जारी करने की स्थिति में होंगे।

दूसरा कारक यह है कि तीन योजनाएं हैं, पीएम-अजय, पीसीआरपीएओ और पीएम यशस्वी योजनाएं। संशोधित अनुमान के स्तर पर बजट 3,143 करोड़ रुपये है और हमने केवल 366 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो केवल 12 प्रतिशत है। इसका कारण यह है कि एक राज्य नोडल प्रणाली शुरू की गई थी; केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम केवल समय पर जारी करेंगे और हम राज्य के राजकोष में धन की निष्क्रिय पार्किंग की अनुमति नहीं देंगे। यही कारण है कि, इस एसएनए प्रणाली को बैंक खाता प्रणाली के साथ शुरू किया गया था, जहां सब कुछ एमओएफ, नोडल मंत्रालय और राज्यों को दिखाई देगा। अब, इन तीन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के पास 2,511 करोड़ रुपए हैं जो उनके पास पड़े हैं। यह बहुत बड़ी राशि है। जब तक, एमओएफ के निर्देशों के अनुसार, राज्य या तो केंद्र को उस राशि को वापस नहीं करता है या उस पैसे का उपयोग नहीं करता है, तब तक हम नई धनराशि जारी नहीं कर पाएंगे।"

2.10 संशोधित अनुमानों में कमी किए जाने के बाद भी बजटीय अनुमानों को पूरी तरह से खर्च नहीं किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लिखित उत्तर के तहत अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल बजट की 89.25% निधि (फंड) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए थी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियों को सिस्टम के संशोधित प्रवाह के अनुसार एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से जारी किया जाना है, जिसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का बजटीय परिव्यय 9643.39 करोड़ रुपए है जो संशोधित अनुमान स्तर पर 10512.91 करोड़ रुपए के कुल योजना बजटीय परिव्यय का 91.73 % है। 14.02.2023 की स्थिति के अनुसार, 10 योजनाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसएनए खातों में लगभग 3600 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। डीओई, एमओएफ द्वारा जारी एसएनए निर्देशों के अनुसार, एसएनए को हस्तांतरित की गई अप्रयुक्त राशि को सीएफआई को वापस करने की आवश्यकता है। राज्यों द्वारा अनुपालन

न किए जाने के कारण नई रिलीज संभव नहीं है। इसके अलावा, राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र और प्रस्ताव प्राप्त होने में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं के लिए बजटीय परिव्यय संशोधित अनुमान स्तर पर 8145 करोड़ रुपए (कुल योजना परिव्यय का 77.4%) है। इसमें से अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व और स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति का बजट 6160 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व और स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति दोनों को डीबीटी मोड में कार्यान्वित किया जाता है जहां राज्य का हिस्सा जारी होने के बाद केन्द्रीय हिस्सा जारी किया जा सकता है। मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर में डीबीटी के लिए पहला वर्ष है जब केन्द्रीय शेयर जारी करने से पहले राज्य शेयर जारी किया जाना है। कुछ राज्यों ने ही अपना शेयर जारी करना आरंभ किया है, अत: केन्द्रीय शेयर कम जारी हो रहा है। साथ ही कुछ स्कीमें मांग आधारित हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजनाओं/एनजीओ/संगठनों को जांच के दौरान पाई गई लाभार्थियों की संख्या के अनुपात में अनुदान सहायता जारी की जा रही है। बेहतर कार्यान्वयन तथा सरकारी धन की चोरी को रोकने के लिए आरंभ किए गए ऊपर उल्लिखित कड़े उपायों के परिणामस्वरूप बीई की तुलना में कम व्यय हुआ है। तथापि, यह विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में व्यय में तेजी लाने के हर संभव प्रयास कर रहा है।"

2.11 वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट को खर्च करने के लिए विभाग द्वारा किए गए सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लिखित उत्तर के तहत बताया कि:-

"व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रावधानित स्कीम के अंतर्गत एसएनए के माध्यम से फंड फ्लो मैकेनिज्म की नई प्रणाली को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ व्यक्तिगत आधार पर बातचीत करने के अलावा प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित वेब-आधारित पोर्टल पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में दिनांक 13.02.2023 तक वर्ष 2021-22 के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने में 2574.82 करोड़ रुपये का

उपयोग किया गया है। 3085.18 करोड़ रुपये के शेष बजटीय आवंटन का भी उपयोग किए जाने की उम्मीद है क्योंकि केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्यों के पोर्टलों के एकीकरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थियों के आंकड़ों की प्राप्ति के बाद, जिन्हें राज्य के हिस्से का भुगतान किया गया है, केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में दिनांक लाख लाभार्थियों के आवेदनों को राज्य सरकारों द्वारा 15.23 तक लगभग 13.02.2023 । यदि पूरे आंकड़ोसत्यापित किया गया हैं का भुगतान और राज्य सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से समय पर अग्रेषित किया जाता है, तो केंद्र का हिस्सा लगभग करोड़ 350 रुपये होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य शेष आंकड़ों को प्रोसेस कर रहे हैं उम्मीद है और जल्द ही उन्हें सत्यापित करने की, स्कीम के अंतर्गत शेष बजटीय आवंटन का भी इस वर्ष के दौरान उपयोग किया जा सकता है।"

2.12 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने निधियां अप्रयुक्त न रहें इसके लिए की गई कार्रवाई के संबंध में समिति से चर्चा के दौरान बताया कि:-

"हम लोग वीडियो कान्फ्रेंसेज किए हैं, उसमें इस पाइंट को इम्फेसाइज किया है कि अगर एस एन ए में पैसा होगा तो हम इस साल का फ्रेश एलोकेशन रिलीज नहीं कर पाएंगे। स्टेट्स के पास दो ऑप्शन्स हैं या तो वह पैसा यूटिलाइज कर लें, जिस काम के लिए पैसा दिया है नहीं तो वह वापस कन्सोलिडेट फंड ऑफं इंडिया में जमा करा दें। इस बात को हम बार-बार जोर दे रहे हैं। हमारे मिनिस्टर साहब के स्तर पर भी चिट्ठियां लिखी गई हैं, हमारे लेवल पर भी हो रहा है।"

2.13 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लिखित उत्तर के तहत निम्नवत ब्यौरा प्रस्तुत किया:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
			वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
1.	अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता	वित्त वर्ष 2021-22 से, इन स्कीमों का विलय कर दिया गया है तथा	309780	269967	201734	55786	एनआर
2.	पीएमएजीवाई	इसका नाम बदल कर	0	0	0	0	0

3.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	"प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)" कर दिया गया है।	1800	1954	1000	3230	2075
4.	एससी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रावास	वित्त वर्ष 2021-22 से इन स्कीमों का विलय कर इनका नाम बदल कर एससी छात्रों तथा अन्यों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति कर दिया गया है।	2282254	2630366	2809542	3068876	3479609
5.	अस्वच्छ तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बालकों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति						
6.	एससी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		5925544	6025544	5280189	6237819	3025136
7.	पीसीआर और पीओए अधिनियम		72023	80383	96762	104513	92238
8.	एससी हेतु उत्कृष्ट श्रेणी छात्रवृत्ति (टीसीएस)	वित्त वर्ष 2021-22 से, इन स्कीमों का विलय कर इनका नाम बदल कर यंग अचीवर्स हेतु उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) कर दिया गया है।	1883	1385	1375	3118	4544
9.	एससी आदि छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम (एनओएस)		183	100	100	100	125
10.	एससी हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम		2000	2000	2000	4029	2007
11.	एससी तथा ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क शिक्षा		2247	1296	1345	2112	1761
12.	मैनुअल स्कैवेंजरों का पुनर्वास		1664	19905	15886	21053	3661
13.	ओबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	वित्त वर्ष 2021-22 से, इन स्कीमों का विलय कर दिया गया है तथा इनका नाम बदल कर वाइब्रेंट इंडिया के संबंध में पीएम यंग एचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड स्कीम कर दिया गया है, ओबीसी तथा अन्यों के लिए पीएम-यशस्वी (पीएम यशस्वी)	3968000	4312000	4094000	4481000	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुवर्ती प्रस्ताव के अनुसार लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध
14.	ओबीसी छात्रो हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		5084000	11393000	9452000	3108000	

							करायी जाती है।
15.	ओबीसी बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावसों का निर्माण		600	900	1750	3000	2150
16.	एससी हेतु कार्यरत वीओ को सहायता	वित्त वर्ष 2021-22 से इस स्कीम का नाम बदल कर लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों के छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) कर दिया गया है।	50643	29459	47242	38250	19350
17.	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी)	वित्त वर्ष 2021-22 से अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) स्कीम का पुनर्गठन किया गया है तथा यह वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना का बदला हुआ नाम है।	40450	34920	109085	136440	139385
18.	राष्ट्रीय वयोश्री योजना		34069	65615	44833	75240	70406
19.	मद्यपान/ नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सहायता		106737	77479	93364	208415	285559
	निगमों को ऋण						
20.	एनएसएपडीसी		108340	81431	83970	94002	76219
21.	एनएसकेएफडीसी		22202	21301	26674	11619	51356
22.	एनबीसीएफडीसी		138588	152844	173524	111261	159717
	कुल		**18152999**	**25201856**	**22536375**	**17767863**	**7415298**

2.14 लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

“अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। योजनाओं के बारे में जानकारी ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से फैलाई जाती है। इसके अलावा, स्कीम दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से जागरूकता सृजन/पहचान कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जो निम्नानुसार हैं:-

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को सबसे गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों की पहचान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली अपनाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति बहुसंख्यक जिलों/ब्लॉकों/गांवों को सबसे गरीब छात्रों अथवा कक्षा छोड़ने वाले छात्रों की पहचान के लिए लिया जा सकता है। 10वीं अथवा 12वीं कक्षा को शिक्षा विभाग के सहयोग से ट्रैक किया जा सकता है अथवा अन्य केंद्रीय/राज्य स्कीमों से सामने आने वाले आंकड़ों को ड्रॉपआउट दरों अथवा अन्य स्रोतों के रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल में अनुसूचित जाति के छात्रों की पहचान करने और उन्हें नामांकित करने तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सलाह देने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे छात्रों को उनके कौशल के अनुसार पाठ्यक्रमों की पहचान करने में भी मदद की जाएगी।

ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के बारे में ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्डों, स्कूल समितियों और माता-पिता-शिक्षक संघ की बैठकों में चर्चा तथा अन्य जन जागरूकता उपायों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि इसके कवरेज का विस्तार तथा बेईमान तत्वों द्वारा किसी भी दुरुपयोग को कम किया जा सके।

ग) राज्यों को सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कवर करने के लिए व्यवस्थित अभियान चलाकर नए नामांकन के लिए छात्रों की पहचान करने की आवश्यकता है तथा 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक वापस आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

पीएम-अजय की स्कीम में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं, जैसे 'आदर्श ग्राम', 'अनुदान सहायता' तथा 'छात्रावास' घटक और इसे वर्ष 2020-21 से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के पूर्व इन घटकों को स्वतंत्र स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा था। वर्ष 2014-15 से 2.63 करोड़ की कुल अनुसूचित जाति आबादी को कवर करने वाले कुल 31000 अनुसूचित जाति (एससी) बहुमत वाले गांवों को 'आदर्श ग्राम' घटक के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए चुना गया है; 'सहायता अनुदान' घटक के अंतर्गत कुल 30,07,418 लाभार्थियों को शामिल किया गया है तथा इस स्कीम के छात्रावास घटक के अंतर्गत कुल 15,505 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

एनएपीडीडीआर: आईआरसीए लागत मानदंडों में संशोधन, 2018-19 से एनएपीडीडीआर की पृथक योजना, जिला नशामुक्ति केंद्र की स्थापना, परियोजना, निगरानी इकाई की स्थापना जैसी प्रत्येक श्रेणियों के बीच लाभार्थियों के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए 2014-15 से दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन कदमों के माध्यम से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें तथा साथ ही एनजीओ/वीओ विभिन्न नशीले पदार्थों की मांग में कमी, जागरूकता पैदा करने, उपचार और पुनर्वास उद्देश्यों में निधियों का उपयोग करने में सक्षम हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या 5.10 लाख है, जबकि वर्ष 2014-15 से अब तक 13.16 लाख से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति: मंत्रालय स्वायत्त निकाय के माध्यम से नियमित रूप से संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम और नियमावली के बारे में जागरूकता के लिए मानव संसाधन प्रबंधकों, कंपनियों, चिकित्सा छात्रों, पुलिस/जेल पदाधिकारियों, पत्रकारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सीडब्ल्यूसी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों, ट्रांसजेंडर समुदाय, सीबीओ और अन्य हितधारकों के लिए आयोजित किए गए हैं। 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 280 से अधिक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए हैं। मंत्रालय की पहलों की पहुंच बढ़ाने के लिए रेडियो कार्यक्रमों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं।"

2.15 वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने समिति से चर्चा के दौरान बताया कि:

"हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस से 13,877 करोड़ रुपये मांगा था। हमें 12,847 करोड़ रुपये मिला है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बार का जो हमें बी.ई. मिला है, वह हमारे गत वर्षों के हिसाब से सबसे ज्यादा मिला है। यह जो इंक्रीज है, अगर हमारे बी.ई. टू बी.ई. देखें तो यह 924.51 करोड़ है, जो 7.75 प्रतिशत पिछले साल के बी.ई. के ऊपर है। अगर हम आर.ई. देखें, क्योंकि हमारी आर.ई. कम है। अगर आर.ई. के हिसाब से देखें तो हमारा 2,137 करोड़ रुपये का इज़ाफा है, जो करीब 20 प्रतिशत ज्यादा मिला है। ज्यादा बजट से हमारे पास ज्यादा चैलेंज है कि हम इसको अच्छी तरह से कर पाए।"

2.16 वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय अनुमानों में वृद्धि को उचित ठहराने के लिए कहे जाने पर, विशेष रूप से जब विभाग पिछले वर्षों में अपने आवंटन को खर्च करने में सक्षम नहीं रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"(क) मंत्रालय 25 एटीएफ, जिन्हें 09.02.2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है के अलावा 26.06.2023 तक 100 और एटीएफ स्थापित करने जा रहा है।

(ख) एनएमबीए का दायरा देश के सभी सीमावर्ती गांवों में बढ़ाया जाएगा।

(ग) संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-सरकारी संगठन जो किराया मुक्त आवास

प्रदान कर सकते हैं, वे भी डीएसी के लिए आवेदन कर सकते हैं जो गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। डीएसी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों के अधिक चयन से निधियां और अधिक जारी होंगी।

(घ) आध्यात्मिक संगठन अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज, संत निरंकारी मंडल आदि को अभियान के संदेश को फैलाने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एनएमबीए के तहत जोड़ा जा रहा है।

(ड़) मंत्रालय देश भर में जेलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर रहा है।

(च) एनएपीडीडीआर के नए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्य योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी करने के प्रावधान को पुन: शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आबंटित निधियों अधिक खर्च होंगी।

(छ) नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 100 और जिलों को शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 372 जिले हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने वाले सभी जिलों को धन जारी किया जाएगा।"

2.17 बजटीय अनुमानों और बजटीय आबंटन के बीच अंतर को दूर करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपना लिखित उत्तर निम्नवत बताया:-

"वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, विभाग की सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ईएफसी/एसएफसी द्वारा सिफारिश की जानी है। तदनुसार, 2020-21 के दौरान ईएफसी/एसएफसी द्वारा विभाग की सभी योजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान (2019-20 के वास्तविक व्यय के 5.5 गुना की अधिकतम सीमा के अधीन) योजना के तहत वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए ईएफसी/एसएफसी द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय आवंटन की सिफारिश की गई है। जिसे उपरोक्त को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने 13877.25 करोड़ रुपये के वार्षिक योजना प्रस्ताव की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए 12847.02 करोड़ रुपये आवंटित

किए हैं। विभाग वर्ष 2023-24 के दौरान योजनाओं और गैर-योजनाओं के बीच अपने आंतरिक पुनर्आवंटन के माध्यम से परिकल्पित कार्यों को करने में सक्षम होगा। मामले में, यदि विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त मांग उठाई जाती है, तो उसे आरई स्तर पर मांगा जा सकता है।"

2.18 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का जनादेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से जुड़ा है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान और नशीलें पदार्थों से पीड़ित, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, विअधिसूचित और खानाबदोश जनजातियां (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सम्मिलित हैं। उन्हें उत्पादक, सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना, उनकी सभी मूल आवश्यकताएं पूरा करना और उनके विकास और उन्नति के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। (एक) अनुसूचित जातियों (**SCs**) और अन्य पिछड़ा वर्ग (**OBCs**) का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण; (दो) वरिष्ठ नागरिकों को उनके भरण–पोषण, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उत्पादक और स्वतंत्र जीवन के लिए सहायता; और (तीन) नशीलें पदार्थों के दुष्प्रभाव से पीड़ित व्यक्तियों, जिसके लिए 'होल पर्सन रिकवरी' दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्वास के लिए विभाग के विभिन्न कार्यकमों/योजनाओं के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है जिसके लिए विभाग को प्रत्येक वर्ष ईएफसी/एसएफसी द्वारा सम्यक विचार के बाद आवंटन मिलता है।

साक्ष्य के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि 'मिशन कर्मयोगी' के तहत, भारत सरकार के अन्य विभागों की तुलना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सबसे आगे है। चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बेहतर क्षमता के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, समिति आशा करती है कि इससे उनके समग्र प्रदर्शन में और वृद्धि होगी।

पिछले वर्षों के बजटीय प्रदर्शन पर आते हुए, समिति ने नोट किया कि 2020–21 में 10,103.57 करोड़ रुपये और 2021–22 में 10,517.62 करोड रुपये के बजटीय अनुमान को 2020–21 के लिए 8207.56 करोड़ और 2021–22 के लिए 10,180.00 करोड़ रुपये के रूप में संशोधित किया गया था, जिसमें से विभाग 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः 8,236.84 करोड़ रुपये और 7,459.99 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा। विभाग ने समिति को निधियों के कम उपयोग के कारण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ गैर–कार्यात्मक पाए गए केंद्रों के लिए जीआईए को रद्द करना, डीडीएसी योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन की देर से प्राप्ति और उपयोग प्रमाण पत्र और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में देरी शामिल है। समिति को कोई संदेह नहीं है कि विभाग अपनी वार्षिक मांग/प्रस्ताव तैयार करते समय इन मुद्दों और बाधाओं को हल करने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहा है और निधियों के उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, क्योंकि निधियों का कम उपयोग योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समिति यह भी पाती है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कतिपय पहल/उपाय किए गए हैं जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली, छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य के हिस्से का पहले रिलीज, जीआईए जारी करने से पहले गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण, आदि, जो भविष्य में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

समिति, यह भी महसूस करती है कि राज्यों की अपनी हिस्सेदारी पहले जारी करने की नई प्रणाली उन मामलों में गति को धीमा कर सकती है जहां ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो विभिन्न प्रकार के कारणों से समय पर अपना हिस्सा जारी करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। बहरहाल, समिति, कुछ पहलों के सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए, विभाग से 2022–23 और 2023–24 के लिए बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने का भी आग्रह करना चाहेगी ताकि समाज के लक्षित वर्ग योजनाओं के लाभ से वंचित न हों।

2.19 समिति पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभाग के बजटीय अनुमानों में क्रमिक वृद्धि को नोट करती है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष यानी 2022–23 में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम है। यह कुछ योजनाओं के विलय और कुछ योजनाओं में संशोधन के कारण हो सकता है क्योंकि 2021–22 में संचालित 37 योजनाओं को 2023–24 में घटाकर 19 योजना के अंतर्गत कर गया है, जिसके परिणामस्वरूप बजटीय अनुमानों में कमी आई है। समिति की राय है कि संभावित लाभार्थियों का विस्तृत दायरा है इसलिए बजटीय अनुमान के प्रतिशत में वृद्धि की आवश्यकता है और यह पिछले वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय से अलग होना चाहिए क्योंकि इस विभाग का अधिदेश अन्य विभागों से पूरी तरह अलग है और समाज की समग्र प्रगति को गति देने के लिए नितांत आवश्यक है। समिति आशा करती है कि विभाग द्वारा की गई पहल जैसे अधिक एटीएफएस की स्थापना, डीडीएसी के लिए अधिक एनजीओ का चयन, नशा मुक्त भारत अभियान का विस्तार आदि को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमान का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इससे भविष्य में बजटीय अनुमानों के प्रतिशत में वृद्धि होगी।

अध्याय-तीन

<u>एससी और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति</u>

अनुसूचित जाति के बच्चों और अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व स्तर पर साक्षरता और निर्बाध शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से, भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामत) :i (एससी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम और)ii (अस्वच्छ और जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजित माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व स्कीम क्रमश :दिनांक 01.07.2012और 0 1.04.1977से कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के लक्षित समूह में छात्रों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और स्कीम के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से चलाने तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से दोनों स्कीमों को एकल स्कीम नामत :'एससी छात्रों और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम' के नाम से वर्ष 22-2021से विलय किया गया है। विद्यार्थियों को 2022-23 से अकादमिक भत्ता के रूप में डे स्कॉलर्स को प्रति वर्ष 3,500/- रुपये और हॉस्टलर्स को 7,000/- रुपये (घटक एक)/ 8,000/- (घटक दो) (कक्षा तीन से दस के लिए) दिया जाएगा।

3.2 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए विभाग के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं:

(रुपए करोड़ में)

कार्यक्रम /स्कीम	2020-21					2021-22					2022-23					2023-24
	बीई	आरई	एई	लक्ष्य	उपलब्धियां	बीई	आरई	एई	लक्ष्य	उपलब्धियां	बीई	आरई	एई (दिनांक 31.12.22 तक)	लक्ष्य	उपलब्धियां	बीई
एससी तथा तथा अन्यों	700.00	600.00	569.52		30.68	725.00	725.00	570.39	26.00	32.41	500.0	500.00	0.56	26.50	शून्य	500.00

और अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	25.00	27.00	26.81													

1. * स्कीम के संशोधन से पूर्व कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

3.3 अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति और समाज का लक्षित वर्ग इस योजना के लाभों से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "स्कीम परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा कर रही है। यह स्कीम ओपन एंडेड है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शेयर किए गए सत्यापित आंकड़ों पर आधारित सभी पात्र लाभार्थियों को स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। संशोधित स्कीम दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से सबसे गरीब पात्र परिवारों की पहचान करने तथा स्कीम के अंतर्गत मिशन मोड में छात्रों को दाखिल करने के विशेष प्रयास करेगी। इसके अलावा, इन छात्रों की नियमित निगरानी की जाएगी ताकि वे अपना अध्ययन जारी रखें। इन छात्रों में शामिल होंगे (i) एसईसीसी-2011 के अनुसार तीन अथवा अधिक अभावों वाले परिवार के छात्र, (ii) ऐसे परिवारों के छात्र जहां एक अथवा दोनों अभिभावक निरक्षर हैं। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे छात्रों की पहचान करने तथा उन्हें कवर करने के विशेष अभियान चलाएगे।"

3.4 दोनों योजनाओं के विलय के बाद 2022-23 में बजटीय आवंटन में कमी क्यों की गई है और विभाग 2022-23 के लिए आवंटित बजट को खर्च नहीं कर पाने की अपनी विफलता को कैसे सही ठहराता है, यह पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने

लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "दिनांक 01.04.2023 से एससी तथा अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम डीबीटी मोड में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि को सीधे ही लाभार्थी के आधार पर आधारित बैंक खाते में जारी की जाती हैं। चूंकि यह कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष है अत: राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल तैयार नहीं थे इसलिए बजटीय आवंटन कम कर दिया गया है। तथापि, यह विस्तृत स्कीम है तथा जब भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मंजूर आंकड़े प्राप्त होते हैं, हम अनुपूरक की मांग कर सकते हैं।"

3.5 इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

> "यह पहला साल है 2022-23, जिसमें डीबीटी के माध्यम से इसको कर रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक योजना पिछले साल से डीबीटी माध्यम से स्टार्ट हो गई थी। प्री मैट्रिक का यह पहला साल है, जिसमें हम इसको कर रहे हैं। इसमें भी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम रहेगा। हम जो एकैडमिक एलाउंस देते थे, वह बढ़ाकर 3,000 से 3,500 रुपये किया गया है। इसमें 500 करोड़ रुपये का आबंटन है। अगर 2014-15 से देखा जाए तो हमने 221 लाख लाभार्थियों को हमने मदद पहुंचाई है और हमारा व्यय 3,280 करोड़ रुपये का रहा है।"

3.6 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य और साथ ही मानदंड तय करने के लिए अपनाई गई पद्धति के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रिमंडल द्वारा ईएफसी की सिफारिश पर 26.75 लाख पात्र लाभार्थियों के लिए 482 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए बीई भी वही है। तथापि, एससी छात्रों तथा अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम विस्तृत स्कीम है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शेयर किए गए सत्यापित तथा मंजूर आंकड़ों के आधार पर 60% केन्द्रीय शेयर (पूर्वोत्तर राज्यों

के मामले में 90% तथा बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100%) जारी किया जाएगा।

वर्ष	लाभार्थी	बीई
2021-22	मंत्रिमंडल लक्ष्य -26 लाख (वास्तविक)- 32,41,735	बीई- 750 करोड़ रुपए, वास्तविक व्यय- 509.34 करोड़ रुपए
2022-23	26.75लाख (प्रत्याशित)	बीई- 500 करोड़ रुपए

वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सत्यापित तथा मंजूर आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय शेयर जारी किया जाता है।"

3.7 अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसाय में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के विलय का उद्देश्य क्या है और 2021-22 में विलय के बाद यह उद्देश्य कहां तक प्राप्त किया जा रहा है, यह पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"इन स्कीमों के लक्षित समूह बड़े ओवरलैप को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यान्वयन को सुगम बनाने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से इन्हें एक स्कीम यथा ''एससी छात्रों तथा अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति सकीम'' में विलय करने का निर्णय लिया गया। नीति तथा आयोजना के उद्देश्यक से अलग डाटाबेस बनाने के लिए इस स्कीम में दो घटक होंगे- कक्षा IX तथा कक्षा X में अध्ययनरत एससी छात्रों के लिए घटक 1 तथा अस्वच्छ तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के कक्षा I से कक्षा X में अध्ययनरत बच्चों के लिए घटक 2 ।

स्कीम के विलय से पूर्व अस्वच्छ व्यवासय स्कीम के अंतर्गत केवल 2-3 राज्यों से ही प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तथापि, विलय के पश्चात वर्ष 2021-22 में 7 और राज्यों

से प्रस्ताव प्राप्त हुए।"

3.8 समाज के लक्षित वर्गों पर अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसाय में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस योजना के संबंध में किए गए अध्ययन के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"स्कीम का इस मंत्रालय के योजना प्रभाग के माध्यम से तृतीय पार्टी मूल्यांकन किया गया। प्रमुख निष्कर्ष तथा संस्तुतियां इस प्रकार हैं:-

क. 72.7% छात्रों ने रिपोर्ट किया कि स्कीम ने उन्हें मैट्रिकोत्तर स्तर से आगे अध्ययन जारी रखने में सक्षम बनाया है।

ख. अधिकतर छात्र (75%) मौजूदा स्कीम से संतुष्ट थे।

ग. 96.8% छात्र सरकारी अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत थे तथा केवल 3.2% प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

घ. 27.9% संस्थान शहरी तथा 72.1% ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

ङ. 70.1% संस्थानों ने रिपोर्ट किया कि छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति के भुगतान का दाखिले पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

च. केवल गुजरात राज्य में आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग की जाती है।

छ. टैनर्स/फ्लेयर्स/कूड़ा बीनने वालों आदि की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण भ्रम की स्थिति है।"

3.9 समेकित शैक्षणिक भत्ता प्रति वर्ष तय करने के लिए ध्यान में रखे गए कारकों और भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"स्कीम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों को क्रमश: वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक संशोधित किया गया है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए दोनों छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति के अकादमिक भत्ते को

बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया।"

3.10 यह पूछे जाने पर कि क्या अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र व्यक्तियों की सटीक संख्या का आकलन करने के लिए कोई सांख्यिकीय जानकारी संकलित की गई है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बताया कि ऐसी कोई जानकारी संकलित नहीं की गई है।

3.11 योजना में धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने कहा कि समिति के विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

"हमने दो चीजें की हैं, एक है कि एन टू एन कम्प्यूटर पर आता है, जैसे एन एस पी पोर्टल पर आता है। दूसरी बात, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, उसी के आधार आथेंटीकेटिड एकाउंट में कर रहे हैं।"

3.12 इस संबंध में, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के विचार-विमर्श के दौरान यह भी कहा कि:-

"जब हम उनके खातों में निधि जारी करते हैं, तो हम उन्हें एक एसएमएस भेजते हैं कि छात्रवृत्ति योजना के तहत उन्हें इतना पैसा भेजा गया है। जब उन्हें पता चलता है कि उनका पैसा आ गया है, तो दूसरों द्वारा उनके खाते का दुरुपयोग करने की संभावना कम हो जाती है।"

3.13 समिति पाती है कि एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बजटीय आवंटन को घटाकर 2022-23 और 2023-24 के लिए 500.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसाय में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नाम से दो योजनाओं के विलय के वर्ष यानी 2021-22 में यह 725.00 करोड़ रुपये था। हालांकि, यह विभाग द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तावित 482 करोड़ रुपये की राशि से अभी भी 18 करोड़ अधिक है।

2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग के संबंध में समिति ने विभाग के साक्ष्य से नोट किया कि यह विलय की गई योजना के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रवृत्ति पोर्टल तैयार नहीं थे। समिति आशा करती हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्रोतों से सबसे गरीब पात्र परिवारों की पहचान करने और मिशन मोड में योजना के तहत छात्रों को नामांकित करने के लिए विशेष प्रयास करने से, योजना के तहत मांग बढ़ेगी । समिति यह भी आग्रह करती है कि विभाग के प्लान डिपार्टमेंट द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नोट किए गए आवेदनों की प्रक्रिया, शर्तों की परिभाषा, आदि मामलों पर अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाए। समिति अकादमिक भत्ते के संशोधन के बारे में चाहती है कि लाभार्थियों के हित में शैक्षणिक भत्ते के संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जाएं। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

जहां तक इन छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रचार का संबंध है. समिति पोर्टल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किए गए प्रयासों को नोट करती है। इस संबंध में, समिति यह भी सिफारिश करती है कि लाभार्थियों के बेहतर कवरेज के लिए, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में भी प्रचार किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधिदेश के अनुसार वंचित वर्गों के कुछ प्रतिशत छात्र यहां भी पढ़ते हैं। समिति स्कूलों में सहायता डेस्क स्थापित करने, स्कूलों की प्रबंधन समितियों तक पहुंचने, सुबह की सभाओं के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं की घोषणा आदि जैसे उपायों की सिफारिश करती है, जिससे उन्हें विश्वास है कि योजना के संभावित लाभार्थियों से बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी।

अध्याय-चार

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) वर्ष 1944 से चल रही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2020-21 से इस योजना के तहत वित्तपोषण पैटर्न को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 हिस्सेदारी अनुपात (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) में बदल दिया गया है। 2021-22 से इस योजना में केंद्रीय हिस्सा डीबीटी मोड पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी किया जा रहा है।

4.2 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए विभाग के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार हैं:

<u>अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति</u>

2020-21					2021-22					2022-23					2023-24
बीई	आरई	एई	लक्ष्य	प्राप्ति	बीई	आरई	एई	लक्ष्य	प्राप्ति	बीई	आरई	एई (31.12.22 तक)	लक्ष्य	प्राप्ति	बीई
2987.33	3815.87	4010.16	60.00 लाख	62.37 लाख	3415.62	4196.59	1978.56	63.00	53.90 लाख	5660.00	5660.00	2500.22	66.15 लाख	0	6359.14

4.3 यह पूछे जाने पर कि 2021-22 और 2022-23 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवंटित बजट से वास्तविक व्यय कम क्यों है, वो भी ऐसी स्थिति में जब विशेष रूप से विभाग द्वारा डीएफजी 2021-22 की समीक्षा के दौरान यह कहा गया था कि आवंटित बजट 31 मार्च 2022 तक पूरी तरह से खर्च कर लिया जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय/महाविद्यालय वर्ष के अंतिम भाग में खोले गए थे, जिसके परिणामस्वरूप राज्य छात्रवृत्ति पोर्टलों को खोलने में विलंब हुआ। अत: राज्य द्वारा आवेदनों के पंजीकरण तथा उन पर कार्रवाई में भी विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों यथा मेडिकल, इंजीनियरी आदि की काउंसलिंग में विलंब के कारण वर्ष 2021-22 के अंत तक इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले पूरे नहीं हो सके। तदनुसार, छात्रों के पाठ्यक्रमों तथा आवासीय स्थिति (दिवा स्कालर/छात्रावासी) अंतिम नहीं थी तथा राज्य उनके आवेदन सत्यापित नहीं कर सके। परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तथा दूसरी तिमाही तक जारी रहे।"

4.4 विभाग 2022-23 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बजटीय आवंटन में से उचित राशि खर्च करने में सक्षम नहीं होने और 2023-24 के लिए अधिक बजट निर्धारित करने, विशेषकर जब विभाग पिछले वर्षों में आवंटित बजट को खर्च करने में विफल रहा है, इस संबंध मे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि**:-**

> "वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों द्वारा अपने 40% राज्य शेयर जारी कर दिए जाने के बाद ही 60% केन्द्रीय शेयर जारी किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवेदनों के सत्यापन/मंजूरी की गति धीमी है तथा अंतिम भुगतान के आंकड़े अभी तक केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। चूंकि बहुत सारे राज्यों ने अपना 40% राज्य शेयर जारी नहीं किया है अत: 60% केन्द्रीय शेयर जारी नहीं किया गया है।"

4.5 केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति की राशि के वितरण की प्रक्रिया में बदलाव की प्रक्रिया और परिणामों के बारे में विस्तार से बताते हुए, विभाग के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जैसे 60-40 के विभाजन में यह स्कीम 2020-21 में स्टार्ट हो गई थी। इससे एक बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि कैबिनेट का जो निर्णय था कि हम इसको 60-40 की बेसिस पर लायेंगे, उसमें हमारे विभाग से जो पैसा पोस्ट मैट्रिकस्कॉलरशिप का जाता था, उसका योगदान बहुत बढ़ गया। इसके पहले हम कमिटेड लाइबेलिटी के ऊपर चलते थे। स्टेट ने लास्ट ईयर के लास्ट फाइनेंस साइकल में जो पैसा खर्च किया, उसके हिसाब से उतनी स्टेट की रेस्पांसिबिलिटी रहती थी। हम उसके ऊपर अपनी स्कीम में टॉपअप करते थे। इसके कारण दस से भी कम राज्य ही स्कीम में आ पा रहे थे और हमारा पैसा भी बहुत कम जा पा रहा था। केंद्र का जो 60-40 का निर्णय हुआ, उसके कारण और पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 के बाद हमारा योगदान बढ़ गया। हमारी सबसे बड़ी स्कीम यह हो गई है। इसमें हमारा पैसा भी इस साल में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2021-22 से हमने डी बी टी के माध्यम से बच्चों को देना शुरू किया। अब लाभार्थियों के बैंक एकाउंट में सीधे पैसा जाता था। उनको इसका एस एम एस जाता है। उनको इस बात की जानकारी मिल जाती है कि 60 प्रतिशत जो गया है, यह केंद्र सरकार की तरफ से गया है और 40 प्रतिशत बाकी राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हम एकाउंट में पैसा डालकर एस एम एस के द्वारा कन्फर्म भी क ररहे हैं कि आपको पैसा मिल गया है। दूसरी बात, हम इसको 2022-23 से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में ला रहे हैं। इससे योजना के अंदर जो कमी रह गई थी, वह दूर हो जाएगी। वर्ष 2022-23 में हमारा बजट अनुमान 5,660 करोड़ रुपये का है और यही आर ई स्टेज पर भी है। यह बढ़कर 6,359 करोड़ 2023-24 का हो गया है। इसमें इजाफा हुआ है। जैसा नैक्स्ट ईयर का बजट है, उसके हिसाब से हम नंबर्स भी हर साल बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने एक साल साठ लाख बच्चों को सपोर्ट किया, अगली बार हमारा टार्गेट 62 लाख का है, फिर 64, फिर 67 लाख का है। इस तरह धीरे-धीरे हम बच्चों के नंबर बढ़ा रहे हैं। चूंकि यह बजट का लास्ट ईयर है, हम यह आंकड़ा भी देना चाह रहे हैं कि वर्ष

2014-15 से हमने क्या किया है? वर्ष 2014-15 से लाभार्थियों की कुल संख्या 434 लाख रही है और इसमें हमने 23,038 करोड़ रुपये का व्यय किया है।"

4.6 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अपने हिस्से का योगदान करने में विफल रहने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और ऐसी परिस्थितियों में विभाग के पास उपलब्ध विकल्पों ताकि छात्रों को नुकसान न हो, के बारे में पूछने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"28 राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा देय है/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यों/, जिसमें से कुछ राज्यसंघ राज्य क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश/, असम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि हैं।"

4.7 समेकित शैक्षणिक भत्ता प्रति वर्ष तय करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों और भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"स्कीम के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों को क्रमश: वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक संशोधित किया गया है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने के लिए दोनों छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति के अकादमिक भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि वित्त मंत्रालय ने इस पर विचार नहीं किया।"

4.8 समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत विभाग 2022–23 में 5,660.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 31 दिसंबर, 2022 तक 2,500.22 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है, क्योंकि नई प्रणाली के अनुसार जो राज्य संशोधित प्रक्रिया के अनुपालन में अपने छात्रवृत्ति का हिस्सा जारी नहीं कर रहे हैं, पहले उन्हें साझा करें तभी उन्हें और निधि आबंटित की जाएगी । इस संदर्भ में विभाग ने सूचित किया है कि 60 प्रतिशत

केंद्रीय हिस्सा, 40 प्रतिशत राज्य के हिस्से के जारी होने के बाद ही जारी किए जाने का निर्णय लिया गया था। समिति महसूस करती है कि कई राज्य सरकारें अभी भी व्यय वहन करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। हालांकि योजना के संचालन में वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण होने के विभाग के इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं है। समिति वंचित समुदाय के छात्रों के बारे में उत्कंठित है, क्योंकि वित्तीय सहायता के अभाव में उनका अध्ययन प्रभावित हो सकता है। इसलिए, समिति का विचार है कि विभाग को इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाना चाहिए। यदि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है तो समिति उसकी सराहना करेगी।

अध्याय- पांच

एससी, ओबीसी और अन्य छात्रों के लिए यंग अचीवर्स उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (श्रेयस)

श्रेयस एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चार मौजूदा योजनाएं हैं, अर्थात् (क) राष्ट्रीय फेलोशिप (ख) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क कोचिंग, (ग) उत्कृष्ट शिक्षा योजना (घ) राष्ट्रीय ओवरसीज योजनाएं। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव है।

5.2 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेयस की सभी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना:

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना:यह वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान धाराओं में एम.फिल/पीएचडी डिग्री के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष एम.फिल/पीएचडी डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए 2000 नई फैलोशिप (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए 1500 जूनियर रिसर्च फेलो और विज्ञान स्ट्रीम के लिए 500 जूनियर रिसर्च फेलो) प्रदान करती है।

(ख) एससी और ओबीसी छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग:

स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में एक उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। स्कीम के अंतर्गत कोचिंग के लिए दी जाने वाली कोचिंग में यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, बैंक, अन्य राज्य आईआईटी-जेईई, एनईईटी, कैट, सीएलएटी, एसएटी, जीआरई, जीमैट, आईईएलटीएस और टीओईएफएल, सीपीएल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा परीक्षा/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक्त हैं। रक्षा सेवाएं। मंत्रालय इस

योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा X और XII में प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर सीधे कुल 3500 छात्रों का चयन करता है। इन छात्रों को अपनी पसंद के चयनित पाठ्यक्रमों, संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने की स्वतंत्रता है। उम्मीदवारों का श्रेणीवार अनुपात। योजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रशिक्षित करने का अनुपात 70:30 है। आवेदन सीधे पोर्टल के माध्यम से बुलाए जाते हैं और चयनित पुरस्कार विजेता को इस मंत्रालय से सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। योजनान्तर्गत आवेदन करने वाली छात्राओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। संस्थान के वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क, या योजना के अनुसार मंत्रालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। कोचिंग शुल्क का भुगतान डीबीटी के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर एक ही किस्त में छात्र द्वारा संस्थान को शुल्क का भुगतान दिखाते हुए शुल्क रसीद अपलोड करने के बाद किया जाता है। कोचिंग की अवधि पूरी होने के बाद और जिस परीक्षा के लिए कोचिंग ली गई है उसमें उपस्थित होने के बाद एक किश्त में डीबीटी के माध्यम से छात्र को प्रति छात्र 4000 रुपये का मासिक वृत्तिका जारी किया जाता है। छात्रवृत्ति के दोनों घटकों अर्थात शुल्क और वजीफा का भुगतान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रों के खाते में किया जाता है।

(ग) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा की छात्रवृत्ति स्कीम:

स्कीम का उद्देश्य 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्कीम की कुछ अन्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

क. अधिसूचित संस्थानों की सूची (2021-22 के दौरान आयोजित संचालन समिति की बैठक की सिफारिश के अनुसार संशोधित) में देश भर में फैले 259 उत्कृष्टता संस्थान हैं। अधिसूचित संस्थानों में सभी आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस उत्कृष्टता प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संस्थान शामिल हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए छात्रवृत्ति की कुल संख्या 21,500 (वर्ष 2021-22 के लिए 4100, वर्ष 2022-23 के लिए 4200,

वर्ष 2023-24 के लिए 4300, वर्ष 2024-25 के लिए 4400 और वर्ष 2025-26 के लिए 4500) पर कैप की गई है।

ख. अध्ययन के पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, चिकित्सा/दंत चिकित्सा, कानून, प्रबंधन, होटल प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी और अन्य विषय हैं।

ग. सभी स्रोतों से छात्रों की कुल पारिवारिक आय दिनांक 01-04-2020 से संशोधित कर 6.00 लाख रुपये से 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। पूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य अप्रत्यायित शुल्क (निजी क्षेत्र के संस्थानों में शुल्क के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये तथा सीपीएल और टाइप रेटिंग पाठ्यक्रमों के लिए 3.72 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा होगी।

घ. स्टाइपेंड @86,000/- रुपये प्रति वर्ष नए आवेदकों के लिए और 41,000/- रुपये प्रति वर्ष नवीनीकरण आवेदकों के लिए।

(घ) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम:

राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करने के लिए है। विदेश में अध्ययन कर रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। योजना के तहत प्रत्येक चयन वर्ष में 125 नए पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के पुरस्कारों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

5.3 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेयस की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग के पिछले तीन वर्षों के दौरान परिव्यय और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24
	बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई

1 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	300.00	125.00	119.00	300.00	125.00	122.44	173.00	159.00	85.00	163.00
2 एससी और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग	30.00	30.00	11.97	50.00	30.00	14.98	47.00	27.00	13.03	47.00
3 एससी के लिए उत्कृष्ट शिक्षा	40.00	50.00	52.88	70.00	70.00	84.72	108.00	108.00	7.44	111.00
4 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज फेलोशिप	20.00	30.00	33.09	30.00	35.00	49.07	36.00	50.00	23.67	50.00
कुल: एससी के लिए यंग अचीवर्स उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति (श्रेयस)	390.00	235.00	216.93	450.00	260.00	271.21	364.00	344.00	129.14	371.00

5.4 स्थापना के बाद से इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"उत्कृष्ट श्रेणी (एससी) की स्कीम वर्ष 2007 से प्रभावी हुई। एससी के लिए नि:शुल्क कोचिंग सकीम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई। वर्ष 2001 में एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों को कोचिंग प्रदान करने की संयुक्त स्कीम प्रारंभ की गई। तत्पश्चात अप्रैल, 2007 में अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों की कार्रवाई हेतु अलग मंत्रालय के बन जाने के बाद अल्पसंख्यक घटक को स्कीम के तत्वावधान से निकाल दिया गया। इसके बाद स्कीम में समय-समय पर संशोधन किया गया।

i) एससी छात्रों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007 से व्यय तथा छात्रों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा:-

वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2007-08	2.17	195
2008-09	4.95	378
2009-10	8.26	541
2010-11	14.15	1036
2011-12	14.82	1259
2012-13	16.70	1306
2013-14	24.18	1574
2014-15	19.37	1568
2015-16	29.77	1911
2016-17	28.50	2033
2017-18	33.94	1883
2018-19	25.48	1385
2019-20	39.70	1375
2020-21	52.00	3118
2021-22	84.72	4544
2022-23 (31.12.2022 तक)	7.44	365

(ii) एससी तथा ओबीसी छात्रों हेतु नि:शुल्क कोचिंग की स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007 का व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा:-

वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2007-08	3.92	4860
2008-09	3.99	3403
2009-10	2.79	3013
2010-11	9.43	9347
2011-12	6.96	7359

2012-13	5.38	5765
2013-14	8.95	4400
2014-15	8.14	6126
2015-16	6.83	4300
2016-17	1.50	250
2017-18	19.84	2247
2018-19	14.88	1296
2019-20	13.26	1345
2020-21	11.96	2112
2021-22	14.98	1761
2022-23 (10.10.2022 तक)	13.03	354

(iii) एनओएस स्कीम वर्ष 1953-54 में आरंभ की गई तथा वर्ष 2014-15 से एनओएस के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों का डाटा इस प्रकार है:-

वर्ष	**छात्रवृत्ति की कुल संख्या**	**चयनित उम्मीदवार**
2014-15	100	59
2015-16	100	50
2016-17	100	108*
2017-18	100	183*
2018-19	100	100
2019-20	100	100
2020-21	100	100
2021-22	125	125
2022-23	125	125

* पिछले वर्षों के रिक्त स्लॉट भरे गए।

(iv) अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम का आरंभ वित्तीय वर्ष 2005-06 में किया गया था। वर्ष 2014-15 से एनएफएससी के अंतर्गत प्रदान की गई फैलोशिप की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	प्रदान की गई फैलोशिप
	कुल
2014-15	2000
2015-16	2000
2016-17	2000
2017-18	2000
2018-19	2315
2019-20	2366*
2020-21	4841*(विलयित चक्र)
2021-22	1932*(विलयित चक्र)
2022-23	1612*(विलय चक्र दिसंबर 2021और जून 2022)

*पिछले वर्षों के रिक्त स्लॉट आगे लाए गए।

ओबीसी तथा अन्यों के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)

5.5 स्कीम को वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है, ओबीसी और अन्य के लिए निम्नलिखित दो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें चल रही हैं (i) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (ii) अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेशी अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र स्कीम। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:

यह योजना एम.फिल/पीएच.डी डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और शोध करने के लिए प्रति वर्ष कुल 1000 जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त की है:

i) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - यूजीसी (मानविकी / सामाजिक विज्ञान के लिए) की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ) या

ii) यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) नेट-जेआरएफ संयुक्त परीक्षा (विज्ञान के लिए)

यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है और एम.फिल और पीएचडी करने वाले शोध छात्रों को दी जाने वाली यूजीसी फैलोशिप की योजना के पैटर्न पर यूजीसी द्वारा ही लागू की जाती है।

(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर डॉ अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना:

यह ओबीसी और ईबीसी से संबंधित छात्र को परास्नातक, एम.फिल और पीएचडी स्तर में विदेश में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए देय ब्याज पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता का 50% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

5.6 ओबीसी और अन्य छात्रों के लिए श्रेयस के तहत योजनाओं के निष्पादन के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:-

ओबीसी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप					
					रुपए करोड़ में
	वर्ष	बीई	आरई	जारी निधियां	लक्षित लाभार्थी

	2014-15	11.00	11.00	9.43	-
	2015-16	6.20	18.30	18.30	409
	2016-17	27.00	27.00	27.00	900
	2017-18	40.00	40.00	20.00	910
	2018-19	110.00	30.00	30.00	683
	2019-20	70.00	52.50	52.50	1193
	2020-21	120.00	45.00	33.00	1235
	2021-22	100.00	60.00	55.55	1338
	2022-23	53.00	-	45.84	1067* 31 अगस्त, 2022 तक

ओबीसी.ईबीसी के छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ/ अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत उपलब्धियों काब्यौरा

				रुपए लाख में
वर्ष	**बीई**	**आरई**	**जारी निधियां**	**लाभार्थी (वास्तविक)**
2014-15	600.00	100.00	89.94	173
2015-16	660.00	100.00	99.90	776
2016-17	200.00	300.00	290.15	1000
2017-18	430.00	430.00	1987.00	1821
2018-19	1000.00	1000.00	1000.00	3164
2019-20	1500.00	2609.00	2609.00	3297

2020-21	3500.00	3500.00	3261.00	4342
2021-22	3000.00	3000.00	2670.00	6564
2022-23	**2700.00**	**-**	**2380.00**	**4708* 30 जून, 2022 तक**

5.7 इन योजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन और इन योजनाओं पर निवेश किए गए धन और मूल्यांकन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"(i) तीसरे पक्ष द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी और नि:शुल्क कोचिंग की योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इन योजनाओं के अध्ययन में की गई टिप्पणियों के अनुसार, इस विभाग ने उन पर कार्रवाई की और तदनुसार दोनों योजनाओं को संशोधित किया। टॉप क्लास योजनान्तर्गत संस्थान से उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब का मामला था।इसलिए, संशोधित योजना के तहत, संस्थान को छात्रवृत्ति जारी नहीं की जाती है और शुल्क और छात्रवृत्ति सहित कुल छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है। जिसके फलस्वरूप विभाग 2021-22 में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय से जारी करने में सफल रहा है। नि:शुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत पैनलबद्ध संस्थान के माध्यम से योजना के मोड 1 के क्रियान्वयन में छात्रों से शुल्क वसूलने, संस्थान में छात्र कोचिंग नहीं लेने जैसी अनियमितताएं पायी गयीं।इसलिए, संशोधित योजना के तहत, सूचीबद्ध संस्थानों को बंद कर दिया गया है और योजना को एकल मोड में लागू किया गया है, जहां छात्रों को सीधे विभाग द्वारा चुना जाता है और उन्हें कोचिंग के लिए अपनी पसंद के कोचिंग संस्थान चुनने की स्वतंत्रता होती है।

(ii) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा एनओएस की एक मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट की गई थी जिसने मार्च 2020 में इस विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एनओएस योजना का प्रभाव मूल्यांकन भी गूगल सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। विभाग समय-समय पर गूगल सर्वेक्षण आयोजित करता है जिसमें योजना के विभिन्न

पहलुओं के बारे में छात्रों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें शामिल किया जाता है।

(iii) मंत्रालय द्वारा एनएफएससी योजना की निगरानी के लिए अपनाया गया निगरानी तंत्र:

i. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा मंत्रालय में फैलोशिप के संवितरण की हर महीने निगरानी की जाती है।

ii. इसके अलावा, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनंतिम/लेखा परीक्षित यूसी धनराशि जारी करने के लिए प्रदान किया जा रहा है।

iii. माननीय एमएसजेई द्वारा 6 दिसंबर,2021 को राष्ट्रीय फैलोशिप प्रबंधन के लिए एक पोर्टल और एक शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो फेलोशिप के छात्र-केंद्रित प्रशासन की अनुमति देगा और फैलोशिप को समय पर जारी करने के लिए आपत्तिजनक कागजी कार्रवाई को काफी हद तक कम करेगा।

5.8 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत 2022-23 और 2023-24 के लिए स्वीकृत धन में कमी के कारणों और 2023-24 में आवंटन में कमी के परिणामस्वरूप छात्रों को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि:-

"हां, बजटीय आवंटन कम कर दिया गया है।वर्ष 2021-22 के 300.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के मुकाबले वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान क्रमशः 173.00 करोड़ रुपये और 177.00 करोड़ रुपये है। यह योजना सितंबर, 2022 तक यूजीसी के माध्यम से लागू की जा रही थी। हालांकि, दिनांक 01.10.2022 से एनएसएफडीसी एनएफएससी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बन गई है। अभी तक कोई समस्या नहीं आई है और योजना के कार्यान्वयन के लिए एनएसएफडीसी द्वारा मांगी गई धनराशि को आवंटित बजट आवंटन से आसानी से पूरा किया जा रहा है।"

5.9 विभिन्न योजनाओं में धनराशि खर्च नहीं किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग के प्रतिनिधि ने विचार-विमर्श के दौरान समिति के समक्ष बताया कि:-

"इस योजना में खर्च नहीं कर पाने का प्रमुख कारण यह है कि हम यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का चयन कर रहे हैं। यूजीसी परीक्षाओं में बहुत देरी हुई, और इसका परिणाम इस वर्ष जनवरी में ही हमारे पास आया। इसलिए, हम अब तक नए लाभार्थियों को कवर नहीं कर सके। लेकिन अब, हम नए अभ्यर्थियों का भी ध्यान रखेंगे। जब भी विश्वविद्यालय से पुष्टि होगी कि वे वास्तव में शामिल हो गए हैं, हम उन्हें भुगतान करेंगे।

सीएसआईआर की ओर से, परीक्षा परिणाम अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। यहां तक कि चल रही यूजीसी नेट परीक्षा भी दिसंबर चक्र के लिए है। परिणाम मार्च में ही आने की संभावना है। हमारा खर्च कम रहा है क्योंकि हम नए छात्रों का चयन नहीं कर पाए क्योंकि यूजीसी ने समय पर परीक्षा आयोजित नहीं की।"

5.10 अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के प्रदर्शन और 2020-21, 2021-22 के दौरान कम खर्च, जिसमें 2022-23 के लिए अधिक धन का आवंटन शामिल है और विभाग पिछले वर्षों में आवंटित राशि को खर्च करने में विफल रहा, के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"कोचिंग स्कीमों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जितने की आशा की जा रही थी। नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। यद्यपि एफसीएस की योजना को 2020-21 के दौरान संशोधित किया गया था, लेकिन कोविड के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका और 2020-21 योजना के लिए शून्य वर्ष बन गया क्योंकि वर्ष के दौरान योजना के तहत कोई कोचिंग कक्षाएं संचालित नहीं की गईं। 2021-22 के दौरान, संस्थानों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि कोविड के कारण, उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 75% शुल्क संस्थान को मोड 1 के तहत जारी किया गया। इसके अलावा, मोड 2 2021-22 के तहत छात्रों का चयन प्रशासनिक कारणों से रद्द करना पड़ा। इस प्रकार, योजना के मोड 2 के तहत 2021-22 में छात्रों को कोई राशि जारी नहीं की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान, योजना को एकल मोड में लागू किया गया है जिसके तहत छात्रों को सीधे विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में उनके अंकों के आधार पर चुना जाता है, जो उस पाठ्यक्रम के आधार पर होता है जिसके लिए उन्होंने

कोचिंग के लिए आवेदन किया है। इस मोड के तहत, एनएसपी/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा छात्रों की साख का सत्यापन किया जाना है। सत्यापन में देरी और कुछ चयनित छात्रों द्वारा स्वीकार्य शुल्क जमा करने में असमर्थता के कारण, हम छात्रों को अपेक्षित राशि जारी नहीं कर सके।"

5.11 2022-23 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के तहत कम खर्च के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

"जी, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के संबंध में, अब तक हमने केवल 95 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। जिस पोर्टल पर हमें छात्रों के आवेदन मिलते हैं, वह कल बंद कर दिया गया था। और, ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ-साथ प्रवेश में बहुत देरी हुई है। इसलिए, संस्थानों ने स्वयं अनुरोध किया कि चूंकि वे प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं, और प्रोन्नति परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम पोर्टल को खुला रख सकते हैं। पोर्टल कल बंद कर दिया गया था।"

5.12 राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृति की संख्या में वृद्धि के लिए किसी भी तिमाही से प्राप्त अनुरोध और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आय संबंधी पात्रता मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"अनुसूचित जाति आदि के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (एनओएस) की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत वर्ष 2021-22 से सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। एनओएस का लाभ उठाने के लिए कुल पारिवारिक आय के संबंध में पात्रता मानदंड को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है।"

5.13 क्या श्रेयस के तहत आवंटित धन ओबीसी और अन्य छात्रों की बड़ी संख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और योजना से अपेक्षित परिणामों के साथ आवंटन तय करने के लिए अपनाए गए मानदंड**,** के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार**,** विभाग की सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ईएफसी/एसएफसी द्वारा सिफारिश की जानी है। तदनुसार, 21-2020के दौरान ईएफसी/एसएफसी द्वारा विभाग की सभी

योजनाओं का मूल्यांकन और सिफारिश की गई है। वर्ष 20-2019के दौरान 20-2019) के वास्तविक व्यय के 5.5गुना की अधिकतम सीमा के अधीन(। योजना के तहत वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए ईएफसी/एसएफसी द्वारा वर्ष 22-2021से -2025 26की अवधि के लिए प्रत्येक योजना के लिए वित्तीय आवंटन की सिफारिश की गई है।जिसे उपरोक्त को देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने 13877.25करोड़ रुपये के वार्षिक योजना प्रस्ताव की तुलना में वर्ष 24-2023के लिए 12847.02करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विभाग वर्ष 24-2023के दौरान योजनाओं और गैर-योजनाओं के बीच अपने आंतरिक पुनर्आवंटन के माध्यम से परिकल्पित कार्यों को करने में सक्षम होगा। मामले में, यदि विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त मांग उठाई जाती है, तो उसे आरई स्तर पर मांगा जा सकता है।"

5.14 श्रेयस के तहत आने वाली उप-योजनाओं के लिए धन के आवंटन और उन सभी को इसके तहत लाने के लाभ के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के विचार-विमर्श में बताया कि:-

"इसमें एक तरह से चार स्कीम्स का मिलन हमने किया है। अगर आपस में कभी किसी स्कीम में जरूरत हो, तो जहां कहीं कमी है, हम इसे दूसरी योजना से पूरा कर सकते हैं। इसलिए, इसे लाया गया है। इसके अंदर हमारी जो चार स्कीम्स हैं, नेशनल ओवरसीज स्कीम है, फ्री कोचिंग स्कीम है, टॉपक्लास स्कीम है और नेशनल फेलोशिप स्कीम है, इन चारों में हम डी बी टी के माध्यम से पैसा देते हैं। हमारी टॉप क्लास स्कीम मैरिट बेस्ड स्कीम है। इसमें शैक्षणिक भत्ता पहले साल के लिए 86 हजार रुपये है, जिसमें हम लैपटॉप वगैरह का सपोर्ट देते हैं और दूसरे साल के लिए 41 हजार रुपये है। इन चारों स्कीम्समें मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी क्या उपलब्धि रही है और हमने कैसे स्कीम को अच्छा किया है। हमने एक तो कवरेज बढ़ाया है। जैसे नेशनल ओवरसीज स्कीम में 100 बच्चे थे, 100 से 125 कास्लॉट बढ़ाया। दूसरा हमने एक्सपीडियस डिसबर्सल के लिए, कि लाभार्थियों को प्रॉबलम न हो, पहले उनको बिल जमा करने पड़ते थे, लैपटॉप खरीदा उसके बिल दीजिए, जो संस्थाओं को पैसा देते थे, उनके यू सी आते थे। इन सारी प्रक्रियाओं को हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया है। अब चूंकि हम डी बी टी के माध्यम से देते हैं तो जो हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, उनके हिसाब से हमें यूसी की

आवश्यकता नहीं है। इसके कारण से हमारा काफी प्रभाव पड़ा है। एक ईज़ हम लाये हैं कि उनको बहुत सारे वैरिफिकेशंस देनी पड़ती थीं। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर दूर कर दी हैं। कुल-मिला कर जो हम डी बी टी लाए, यू सी बंद कर दिया, मल्टी वैरिफिकेशन बंद कर दिया और स्लॉट्स बढ़ा लिए, इस कारण से इस स्कीम में काफी अच्छा प्रयास बढ़ रहा है और यह स्कीम आगे और बच्चों को सहायता कर पाएगी।"

5.15 अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के विद्याथयों के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"टॉप क्लास की योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभाग एक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसका नाम है सवरती जाए जीवन की राहें। इसके अलावा, योजना की मुख्य विशेषताओं का संकेत देने वाले पोस्टर के साथ संचार सभी अधिसूचित संस्थानों को उनके सभी संबंधित छात्रों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भेजा जाता है। योजना के सुचारू संचालन के लिए, विभाग ने योजना के लिए एक अलग पोर्टल) tcs.dosje.gov.in) विकसित किया है। पोर्टल पर प्रस्ताव बुलाने जैसी योजना संबंधी अधिसूचना अपलोड कर योजना का विज्ञापन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। निःशुल्क कोचिंग योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों के चयन से पहले स्थानीयराष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से इसका विज्ञापन किया जाता है। योजना के /) क्रियान्वयन के लिए इस विभाग ने एक अलग पोर्टलcoaching.dosje.gov.in) विकसित किया है जिसके माध्यम से योजना का विज्ञापन किया जाता है। दोनों योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम जैसे- ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि से भी विज्ञापित किया जाता है।"

5.16 विभाग ने एनओएस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:-

"1. ट्विटर अभियान

2. समाचार पत्र विज्ञापन

3. प्रधान सचिवों को उनके राज्यों में एनओएस योजना के संबंध में सूचना प्रसारित करने के लिए पत्र।

एनएफएससी दिशानिर्देश व्यापक रूप से प्रचारित हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी आसानी से उपलब्ध हैं और छात्र आसानी से दिशानिर्देशों को पढ़ सकते हैं और तदनुसार आवेदन कर सकते हैं।"

5.17 योजनाओं के प्रचार के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया कि :-

"हमारे विभाग की बहुत स्कीम्स हैं, जिनमें हमें लगता है कि और प्रचार करने की जरूरत है ताकि हमारे पास सफिशिएंट नंबर हों। हमने जिस टार्गेट ग्रुप के लिए बनाया है, उस पर ज्यादा जोर दे सकें।"

5.18 लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में एससी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

"एप्लीकेशन्स तो बहुत आईं लेकिन बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन करके अपनी रसीद जमा की है। मैं मानती हूं कि अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो ज्यादा एपलीकेशन्स आएंगी। यह नया मोड है, इसलिए कम नंबर हैं। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी फिर देखा जाएगा कि हम नंबर कैसे बढ़ाएं।"

5.19 इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विभाग के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेशी योजना: यह योजना पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है और इससे कई छात्रों को लाभ हुआ है। हालाँकि, योजना के सुचारू और निष्पक्ष कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कई बदलाव किए गए हैं:

क(पहले पुलिस सत्यापन में बहुत समय लगता था लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है और उम्मीदवार से केवल किसी भी लंबित मामलेअपराध में दोष सिद्ध न / स्वघोषणा प्राप्त की जाती है। होने के संबंध में

ख(बिना शर्त प्रस्ताव पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को 2020-21 से प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार, जिन छात्रों के दाखिले की पुष्टि नहीं हुई है, उनके द्वारा स्लॉटों को ब्लॉक किए जाने से बचना चाहिए।

ग(आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सरल बनाया गया है। आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल 2019-20 से शुरू किया गया है।

घ(यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन किया जाता है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जाती है, छात्रों को अब उन संस्थानों की क्यूएस अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर मेरिट के आधार पर चुना जाता है, जिसमें उन्होंने 2020-21 से प्रवेश प्राप्त किया है।

एनएफएससी योजना 2005-06 से सफलतापूर्वक चल रही है। साथ ही, योजना के दिशानिर्देशों की हर साल समीक्षा और संशोधन किया जाता है ताकि अधिकतम छात्रों को लाभ मिल सके।"

5.20 समिति नोट करती है कि विभाग ने अनुसूचित जाति के लिए एक व्यापक योजना, युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (श्रेयस) शुरू की है, जिसमें चार छात्रवृत्तियां शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय फ़ेलोशिप योजना, अनुसूचित जाति के लिए निशुल्क कोचिंग, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना और राष्ट्रीय आवासीय योजना, जिसमें एक योजना की बजटीय कमी को दूसरी योजना से पूरा किया जा सकता है। समिति इस बात से भी प्रसन्न है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के तहत 2021–22 से सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है और योजना का लाभ लेने के लिए कुल पारिवारिक आय में भी 6 लाख रुपये को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की गई है। योजना के

प्रदर्शन के संबंध में, यह देखा गया है कि योजना के तहत वास्तविक व्यय 2020–21 में 390.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 216.93 करोड रुपये, 2021–22 में 450.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 271.21 करोड़ रुपये और 2022–23 में 364.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 129. 14 करोड़ रुपये था। समिति ने पाया कि उप–योजनाओं में व्यय और बजटीय प्रावधान 'अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप' को छोड़कर काफी अच्छे बने हुए हैं, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर बीई कम कर दिया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सभी उप–योजनाएँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, समिति की राय में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय अनुमान में कटौती नहीं होनी चाहिए। समिति को कोचिंग योजनाओं के प्रदर्शन के बारे में भी अवगत किया गया है कि आवंटित धन सत्यापन में देरी, शुल्क जमा करने के प्रमाण जमा करने आदि के कारण खर्च नहीं किया जा सका। इसी तरह, उच्च श्रेणी की शिक्षा के तहत खर्च कम था क्योंकि इसमें प्रवेश में और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने में बहुत देरी हुई। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ कारण विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं, समिति की राय है कि समय–समय पर मूल्यांकन अध्ययन, जागरूकता अभियान आदि योजना के कार्यान्वयन में और सुधार लाएंगे। समिति का दृढ़ विश्वास है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए ईमानदार कदम फलदायी होंगे और छात्रों को

अपना बकाया प्राप्त करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः समिति चाहती है कि कमियों का आकलन करने और उसके लिए आवश्यक उपाय करने के लिए नियमित अंतराल पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि व्यापक कवरेज देने के लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है ताकि छात्र बड़ी संख्या में भाग लें और योजना का लाभ प्राप्त करें। समिति आशा करती है कि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमान पूरी तरह से खर्च किए जाएंगे और विभाग के सामने आने वाली कोई भी कठिनाई योजनाओं को हर संभव हद तक लागू करने में बड़ी बाधा नहीं बनेगी।

अध्याय- छह

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) मौजूदा तीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना एससीए से एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) को मिलाकर एक एकीकृत योजना है और 2021-22 से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के द्वारा एससी समुदाय की निर्धनता को कम करना, आय सृजन योजना तथा अन्य पहलें और एससी बहुल गांवों में पर्याप्त अवसरंचना एवं अपेक्षित सेवाओं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना है।

आदर्श ग्राम {पूर्ववर्ती प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना}

'आदर्श ग्राम' की परिकल्पना

6.2 आदर्श ग्राम वह है जिसमें लोगों की विभिन्न बुनियादी सेवाओं तक पहुंच हो ताकि समाज के सभी वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जा सके और असमानताओं को कम से कम किया जा सके। इन गांवों में ऐसी सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी और इसके निवासियों को ऐसी सभी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच होगी जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं, यहां एक ऐसे वातावरण द्वारा बनाया जाएगा जिसमें हर कोई अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में सक्षम हो।

चयनित गांवों को अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समरूप विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न डोमेन के तहत चुने गए चिन्हित सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों से संतृप्त किया जाना है। वर्तमान में, 10 डोमेन के तहत पहचाने गए/चुने गए निगरानी योग्य 50 सामाजिक-आर्थिक विकास हैं। ये 10 डोमेन क्षेत्र निम्नानुसार हैं: -

i) पेयजल और स्वच्छता
ii) शिक्षा
iii) स्वास्थ्य और पोषण

iv) सामाजिक सुरक्षा

v) ग्रामीण सड़क और आवासन

vi) विद्युत और स्वच्छ ईंधन

vii) कृषि पद्धतियां आदि

viii) वित्तीय समावेशन

ix) डिजिटलीकरण

x) आजीविका और कौशल विकास

6.3 चयनित गांवों का एकीकृत विकास मुख्य रूप से केंद्र के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण रूप से कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिसमें गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ-साथ अवसंरचना विकास तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अंतर-पाटने वाला वित्तपोषण बुनियादी ढांचे की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसे अभिसरण के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह आशा की जाती है कि चयनित गांवों में मौजूदा केन्द्रीय/राज्य योजनाओं से प्राप्त अनुदान से अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त समान अनुदान के साथ कम से कम तीन से चार गुना धनराशि का अभिसरण सुनिश्चित किया जाए।

6.4 आमतौर पर, विभिन्न कारकों जैसे योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की इच्छा, निधियों की उपलब्धता, यूसी की स्थिति, अव्ययित शेष राशि के आधार पर प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति बहुल गांवों की एक निश्चित संख्या को एकीकृत विकास के लिए चुना जाता है। इन चयनित गांवों में अंतराल पाटने वाले घटक के अंतर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग जारी करने की तारीख से दो (02) वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा। तथापि, अभिसरण कार्यान्वयन की निगरानी **अगले तीन (03) वर्षों** के लिए की जाएगी ताकि सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के प्रयासों को जारी रखा जा सके। इस प्रकार, जबकि पीएमएजीवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग जारी करने की तारीख से दो (02) वर्षों की अवधि के भीतर किया जाना है, तथापि, निगरानी योग्य संकेतकों की समीक्षा कुल पांच (05) वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी।

नवीनतम उपलब्ध जनगणना आंकड़ों के अनुसार, 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी और 500 से अधिक कुल आबादी वाले गांव अपनी अनुसूचित जाति की आबादी के अवरोही क्रम में चयन के लिए पात्र होंगे। एक बार इन गांवों को कवर करने के बाद, ऐसे गांवों में जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% से कम या उसके बराबर है, लेकिन कुल मिलाकर अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या अधिक है, उन पर भी विचार

किया जाएगा। मंत्रालय ऐसे गांवों के लिए उचित समय पर चयन मानदंड निर्धारित करेगा। पूर्व चयन मानदंडों के अनुसार, योजना के विभिन्न चरणों में पहले से ही कवर किए गए गांवों की संख्या निम्नानुसार है:-

पीएमएजीवाई के तहत चयनित गांवों की संख्या और जारी की गई निधियां			
चरण	***हस्तक्षेप की अवधि***	***चयनित गावों की संख्या***	***जारी निधियां (करोड़ रुपये में)***
प्रायोगिक चरण	*2009-2014*	*1000*	*201.00*
चरण-I	*2014-2020*	*1500*	*346.85*
चरण-II	*2018-2019*	*4162*	*167.76*
	2019-20	*5418*	*717.84*
	2020-21	*3639*	*216.52*
	2021-22	*6044*	*996.51*

(*2021-22 से, पीएम अजय की विलय योजना के लिए एक ही बजट मद खोला गया है।)

वित्तपोषण:

6.5 योजना का वित्तपोषण तरीका निम्नानुसार है:-

(i) केंद्र सरकार द्वारा नए चुने गए गांवों के लिए प्रति गांव 21.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 20.00 लाख रुपये चयनित गांवों में 'अंतर पाटने वाले' घटक के तहत कार्यकलापों को पूरा करने के लिए होंगे। प्रति गांव 1.00 लाख रुपये की शेष राशि केन्द्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर तथा केन्द्रीय स्तर पर एमआईएस के विकास और रख-रखाव के लिए प्रशासनिक और अन्य खर्चों जैसे तकनीकी संसाधन सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, प्रचार आदि के लिए होगी जिसे केन्द्र, राज्य, जिला और गांव के बीच 1:1:1:2 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य योजनाओं अथवा राज्य अंश से अंतराल पाटने की निधि का कम से

कम 3 से 4 गुना एकत्रित करें ताकि गांवों को बुनियादी अवसंरचना से संतृप्त किया जा सके।

(iii) इसके अलावा, पहले के चरणों के अंतर्गत कवर किए गए सभी गांवों के निरंतर विकास के लिए, 5साल की समाप्ति के बाद प्रति गांव 10 लाख रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण का एक घटक होगा बशर्ते अन्य शर्तों को पूरा किया जाए। इसमें से 9.50 लाख रुपये प्रति गांव का उपयोग 'अंतर पाटने वाले' घटक के लिए किया जाएगा और 0.50 लाख रुपये प्रति गांव केंद्र, राज्य, जिला और गांव के बीच प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए 2 :1 :1 :1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान {पूर्ववर्ती अनुसूचित जातियों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता उप योजना}

6.6 इस योजना के इस घटक के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

i) आय सृजन योजनाओं, कौशल विकास और संबंधित अवसंरचना विकास के घटकों वाली व्यापक आजीविका परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित जनसंख्या की आय में वृद्धि करना जिससे लक्षित आबादी के बीच गरीबी को कम किया जा सके और उन्हें गरीबी रेखाओं से ऊपर लाया जा सके।

ii) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार।

iii) साक्षरता में वृद्धि करना और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के साथ-साथ आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके, विशेष रूप से प्रेरणादायक जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्य जगहों पर, जहां आवश्यक हो, स्कूलों और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना।

छात्रावासघटक {पूर्ववर्ती बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना}

6.7 छात्रावासों का निर्माण कार्य अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के लिए काबिल बनाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने का एक साधन है। इस प्रकार के छात्रावास

ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले छात्रों के लिए अत्यधिक लाभप्रद हैं। एससी छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण घटक तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) प्रचालन में है परन्तु छात्रों के लिए यह वर्ष 1989-90 के दौरान शुरू किया गया था। इस घटक का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों, विशेषकर छात्राओं के ड्रॉप-आउट रेट को कम करना तथा रोकना है।

6.8 2023-24 के बजटीय अनुमान सहित 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

कार्यक्रम / योजनाएं	**2020-21**			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**
	बीई	**आरई**	**एई**	**बीई**	**आरई**	**एई**	**बीई**	**आरई**	**एई (31.12.22 तक)**	
प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	-	-	-	1800.00	1800.00	1820.32	1950.00	1062.39	29.34	2050.00
अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	1200.00	300.00	387.00							
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	700.00	300.00	216.52							

6.9 पीएम-अजय के अंतर्गत इन योजनाओं के विलय से पहले किए गए अध्ययन और पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान योजनाओं के एकल कार्य निष्पादन के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

""पीएम-अजय के तहत पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय से पहले, उनका मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा वर्ष **2020-21** के दौरान किया गया था और अध्ययन के निष्कर्ष संलग्न किए गए हैं। उनकी सिफारिशों के आधार पर, पूर्ववर्ती तीन योजनाओं को एकीकृत योजना के रूप में एजीसी-**19014/6/2023**-पीएमएजेएवावई**I/25889/2023** कार्यान्वयन के लिए विलय कर दिया गया था। चूंकि पूर्ववर्ती तीन योजनाओं के उद्देश्य और हस्तक्षेप समान थे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये पूर्ववर्ती योजनाएं अधिकांश हिस्सों में एक आम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं, यह उम्मीद की जाती है कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगी योजना का परिणाम। इसके अलावा, चूंकि इन सभी तीन घटकों के लिए धन का एक समान आवंटन होगा, योजना के किसी भी घटक में धन के किसी भी संभावित समर्पण का उपयोग अन्य घटकों की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पीएम-अजय की एकीकृत योजना केवल वर्ष **2021-22** से लागू की जा रही है और तब से इन योजनाओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन, जो अब इस योजना के घटकों के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:

(क) 'आदर्श ग्राम' घटक के तहत, कुल **17,555** अतिरिक्त अनुसूचित जाति बहुसंख्यक गांवों का चयन किया गया था।

(ख) 'सहायता अनुदान' घटकों के तहत, **11,97,378** संभावित लाभार्थियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ग) 'हॉस्टल' घटक के तहत, कुल **19** हॉस्टल निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे, जिससे अनुसूचित जाति के **2075** छात्र लाभान्वित हुए। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एक मांग संचालित योजना होने के नाते स्वीकृत आंकड़े योजना के प्रदर्शन को नहीं दर्शाते हैं"।"

6.10 वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान स्तर पर बजट अनुमानों के आबंटनों में कटौती करने के कारणों और 2022-23 में योजना के तहत कम व्यय के कारणों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष के

अंत में निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"कार्यान्वयन एजेंसियों के पास बड़ी मात्रा में अव्ययित निधियों की उपलब्धता को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक उन्हें निधियां जारी करना संभव नहीं हो सका है। इसलिए, अंतिम क्षण में निधियों के वापस करने से बचने के लिए, आरई स्तर पर आवंटन कम कर दिया गया है।

कम व्यय यह मुख्य रूप से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से नई निधि प्रवाह प्रणाली को अपनाने में देरी, उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने और पहले से जारी धन के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास पड़ी बड़ी अव्ययित राशि के कारण हुआ है।"

6.11 पीएम-अजय में कई कार्य शामिल हैं और यह मुद्रास्फीति को अवशोषित भी करता है, इसके बावजूद पीएम-अजय के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि:-

"पीएमअजय योजना को- 15वें वित्त चक्र में लागू करने की स्वीकृति देते समय इस विभाग द्वारा योजना के तहत वर्षवार धनराशि आवंटित करते समय इस बात का पहले से ही ध्यान रखा गया है। योजना के तहत आवंटित धनराशि योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।"

6.12 वित्तीय आवंटनों और योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

"इसके तहत हमारी तीन स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एससी ए टू एससी एसपी सपोर्ट और बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना। इन स्कीम्स में जो हमने गांवों का चयन किया था, उसमें हमने प्रक्रिया में चेंज किया है और एससी पॉपुलेशन 50 से घटाकर 40 प्रतिशत पर ले आए हैं। इस निर्णय के कारण 11,500 गांवों का चयन हम कर पाए हैं। आदर्श ग्राम योजना बनाने की जो टोटल गांवों की संख्या वह 31 हजार हो गई है। अभी तक करीब 36 लाख लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद एससी ए टू एससी एसपी में भी हम वित्तीय सहायता 10 हजार की देते थे, उसको बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। वर्ष 2014-15 से करीब 30 लाख लाभार्भियों को करीब 64 सौ करोड़ रुपये

स्वीकृत किए गए हैं। छात्रावास में 2014-15 से 171 छात्रावास बनाये गये हैं, जिनमें 43 लड़कों के लिए और 128 बालिकाओं के लिए बनाये गये हैं, जिसके कारण से 15,737 लाभार्थियों को मदद मिली है और 342 करोड़ हमने इसके लिए मंजूर किए हैं। इसमें बजट 1950 करोड़ रुपये था, जो अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़कर 2,050 करोड़ रुपये हो गया है।"

6.13 सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किए गए व्यय के संदर्भ में बताया कि:-

"इसमें गांव के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं, उसको हमने अक्तूबर से शुरू किया। लेकिन अभी भी उसमें एक मेजर पोर्शन स्टेट्स के पास पड़ा हुआ है जिसके लिए हम बार-बार कह रहे हैं। स्टेट्स ने हमें आश्वस्त भी किया है, हमारे पास नये प्लॉन भी एप्रूवल्स के लिए आ रहे हैं, हम वह भी एप्रूव कर रहे हैं, लेकिन यह कन्डीशन उसमें है। जब तक आप एस एन ई में पैसा खर्च नहीं करेंगे हम पैसा नहीं दे पाएंगे। या तो हमें पैसा वापस कीजिए, कई स्टेट्स ने प्रोमिस किया है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें 28 फरवरी से पहले दे देंगे। अगर उनका एस एन ए काउंट जीरो हो जाता है, पिछले सालों में जो पैसा रिलीज किया गया है और वह पेन्डिंग नहीं रहता है तो हम उनको नये साल का पैसा दे पाएंगे"।"

6.14 समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप–योजना (एससीएसपी से एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जब ये तीन योजनाएं स्वतंत्र रूप से संचालित की गई थीं इनके विलय के बाद का वास्तविक व्यय, प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम) में (PM-AJAY) 2020–21 में किए गए 659.92 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना में 2021–22 में 1820.32 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। हालांकि, 2022–23 में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली को अपनाने में समय लगने के कारण 1950.00 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 29.

34 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया गया। समिति महसूस करती है कि अनुसूचित जाति समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एकीकृत योजना के सभी तीन घटक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य में एसएनए स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि राज्यों को समय पर धन जारी किया जा सके। उपलब्ध उन्नत आईटी उपकरणों के साथ, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं/परिवर्तनों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, राज्य सरकारों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि, आदि कें बारे में समय रहते सचेत कर दें क्योंकि अब नए प्रावधान के तहत धनराशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि राज्यों द्वारा अप्रयुक्त धनराशि वापस नहीं की जाती है या अनुदान में से अगली किस्त जारी करने के लिए उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। समिति यह भी महसूस करती है कि योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग को एक कार्य योजना तैयार करने और पीएम–अजय के तहत समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने से मदद मिलेगी है।

समिति यह भी चाहेगी कि विभाग उपयुक्त कदम उठाए ताकि 2022–23 और 2023–24 के लिए किए गए बजटीय आवंटन का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्थक उपयोग किया जा सके और नए प्रावधानों के तहत निर्धारित किए गए तरीके पूर्णतया सफल रहे। योजना के तहत बड़ी संख्या में एससी गांवों को कवर करने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि 'आदर्श ग्राम' के तहत गांव के चयन के लिए

निर्धारित जनसंख्या मानदंड की भी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, उसी प्रकार, जैसे 50 प्रतिशत एससी जनसंख्या मानदंड को घटाकर 40 प्रतिशत किया गया है। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय-सात

अनुसूचित जाति के लिए लक्षित क्षेत्र (श्रेष्ठ) में उच्च विद्यालय में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना

स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के विकास हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाने और सेवा की कमी वाले एससी आबादी प्रमुख क्षेत्रों में अंतर पाटन और अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से 1953 से "एससी योजना के लिए वीओ को सहायता" लागू की जा रही है।

7.2 "इससे पहले केंद्रीय क्षेत्र की योजना, "अनुसूचित जाति के लिए वीओ को सहायता" को 2022-23 से संशोधित किया गया है, "लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)" को दो मोड के तहत संचालित किया जाएगा। योजना में मोड-I के तहत एक नया घटक जोड़ा गया है, जिसके तहत हर साल देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी(एनटीए) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च श्रेणी के आवासीय हाई स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिए चुना जाएगा। मोड-II के अंतर्गत, आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों की चल रही परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता जारी रहेगी"।

7.3 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान सहित वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 का बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

2020-21				**2021-22**				**2022-23**				**वर्षवार कमी/अधिक व्यय का %**			**2023-24**
बीई	आरई	एई	कमी	बीई	आरई	ए ई	कमी	बी ई	आर ई	एई	कमी				बीई
100.00	125.00	55.81	69.19	200.00	63.21	38.04	25.17	89	89	31.61	57.39	55.35	39.82	64.48	104.65

7.4 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कमी और 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के आवंटन को कम करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

''इस योजना को 2022-23 से लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना)श्रेष्ठ (के रूप में संशोधित किया गया है। कोरोना/कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान स्कीम के मोड-II के तहत अधिकांश मामलों में केवल निर्धारित लागत मदों के लिए ही धनराशि जारी की गई थी।''

7.5 2022-23 के दौरान योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और योजना के अंतर्गत हर साल लिए जाने वालों छात्रों की संख्या और प्रत्येक छात्र के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

''2022-23 के दौरान इस योजना के तहत 2405 छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत राशि स्कूल फीस और आवासीय / छात्रावास शुल्क के लिए दिया जाता है, जिसमें 9 वीं के लिए अधिकतम राशि ₹ 1,00,000 है, 10 वीं के लिए ₹ 1,10,000 है, 11 वें के लिए ₹ 1,25,000 और 12 वीं के लिए ₹ 1,35,000 वार्षिक राशि दी जाती है। यदि स्कूल अधिक शुल्क लेता है, तो इसका भुगतान छात्रों/माता-पिता/परिवार द्वारा किया जाना है। अन्य खर्च जैसे किताबें, वर्दी आदि। छात्रों/ माता-पिता/परिवार द्वारा भुगतान किया जाना है।''

7.6 यह पूछे जाने पर कि एससी के लिए वीओ को सहायता जैसी पिछली योजनाओं की तुलना में श्रेष्ठ कैसे बेहतर होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

''श्रेष्ठ का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों तथा अनुदान सहायता संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में अंतर को भरना तथा अनुसूचित जाति (एससी) के समग्र विकास तथा सामाजिक आर्थिक उत्थानहेतु माहौल प्रदान है। योजना को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उज्ज्वल अनुसूचित जाति के

छात्रों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है, जिससे उनके भविष्य के अवसरों को सुरक्षित किया जा सके। नए घटक यानी मोड-एक के तहत, हर साल देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च श्रेणी के आवासीय उच्च विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिए चुना जाता है"।"

7.7 श्रेष्ठ (SC के लिए लक्षित क्षेत्र **SRESTHA)** अर्थात हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की नई योजना, ` 2022–23 से **'SC** के लिए **VOs** को सहायता' की पिछली योजना के स्थान पर लागू हो गई है। संशोधित रूप में, योजना को दो तरीकों से कार्यान्वित किया जा रहा है। मोड–**I** में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी छात्रों को शीर्ष श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिए चुना जाएगा। मोड–**II** के तहत आवासीय/गैर–आवासीय स्कूलों की चल रही परियोजनाओं के लिए वीओ/एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी रहेगी। 2023–24 के लिए किया गया 104.65 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के विषय में समिति महसूस करती है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बजटीय आवंटन में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि 2022–23 से श्रेष्ठ में निर्दिष्ट संख्या में छात्रों को उच्च श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है। अगर शीर्ष आवासीय हाई स्कूलों की वास्तविक फीस और आवासीय शुल्क को ध्यान में रखा जाए तो समिति स्कूल की फीस और आवासीय

शुल्क की प्रतिपूर्ति के विषय में पाती है कि वर्तमान में निर्धारित शुल्क काफी कम है इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग शुल्कों को संशोधित करे और उन्हें शीर्ष आवासीय हाई स्कूलों की मौजूदा शुल्क संरचना के अनुपात में अनुकूल बनाए।

अध्याय-आठ

राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टम स्कीम (नमस्ते)

सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को सम्मान प्रदान करने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टम स्कीम (नमस्ते)" का निर्माण किया है। नमस्ते को अगले तीन वर्षों के दौरान 2025-26 तक लगभग ₹350.00 करोड़ के परिव्यय के साथ देश के सभी 4800+ यूएलबी में लागू किया जाना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ताकि शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके और क्षमता निर्माण और पीपीटी किट, सुरक्षा उपकरणों और मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, नमस्ते नागरिकों और अन्य सेवा चाहने वालों के बीच स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाएगा और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग को बढ़ाएगा। 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान 97.41 करोड़ रुपये है।

8.2 देश में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की संख्या और राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई इकोसिस्टम स्कीम (नमस्ते) के लिए कार्य प्रणाली के तरीके के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "वर्तमान में देश में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की संख्या का कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। नमस्ते में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से सीवर और सेप्टिक (यूएलबी) टैंक श्रमिकों की पहचान और उनकी प्रोफाइलिंग कीपरिकल्पना की गई है। इसके बाद, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, पीपीई किट का वितरण, स्वास्थ्य बीमा और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं आदि के लिए सहायता का लाभ दिया जाएगा।"

8.3 प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में खर्च की जाने वाली निधियों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "सीवर सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) को स्वच्छता संबंधी परियोजना के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, पीपीई किट, सुरक्षा उपकरण, पूंजी सब्सिडी जैसे लाभों का विस्तार करने के लिए सभी यूएलबी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के

साथ संयुक्त रूप से इस योजना को लागू किया जाना है। प्रत्येक यूएलबी में खर्च करने के लिए कोई निश्चित राशि नहीं है क्योंकि प्रत्येक यूएलबी में आबादी का आकार, सीवरेज कवरेज की सीमा और सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के मशीनीकरण के लिए मशीनों की आवश्यकता यूएलबी से यूएलबी में भिन्न होती है।"

8.4 वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या और इस वर्ष के लिए यूएलबी के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"नमस्ते के कार्यान्वयन के दौरान देश के सभी यूएलबी को कवर करने का प्रस्ताव है। इस योजना में प्रत्येक जिले में आरएसए की नियुक्ति और ईआरएसयू की स्थापना की परिकल्पना की गई है। एसएसडब्ल्यू की प्रोफाइलिंग पहले साल में पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। ईआरएसयू के माध्यम से सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसलिए, यूएलबी के चयन का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि, सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले यूएलबी को पहले कवर किया जा सकता है"।"

8.5 यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर कि 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाए और इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"नमस्ते के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ आवश्यक टाई-अप और समन्वय किया जा रहा है ताकि योजना को यूएलबी में उनके समर्थन से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके। मिशन निदेशकों, स्वच्छ भारत मिशन के साथ उनके अधिकार क्षेत्र के तहत यूएलबी में नमस्ते के कार्यान्वयन के लिए तत्परता की स्थिति में मामले को पहले ही उठाया जा चुका है।वर्ष 2023-24 के लिए निधियों को प्रस्तावित हस्तक्षेपों के आधार पर निधियों की आवश्यकता के सावधानीपूर्वक अनुमान के बाद निर्धारित किया गया है।"

8.6 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को अपना कार्य करने के लिए मशीनें खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने के प्रावधान के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"नमस्ते में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनों की खरीद के लिए सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को रियायती ऋण प्रदान करने का एक प्रमुख घटक है। ऋण चुकाने के लिए सहायता और प्रमुख नियम और शर्तों का विवरण इस प्रकार है:-

(i) 15.00 लाख रुपये तक रियायती ऋण व्यक्तिगत सीवर और सेप्टिक टैंकरों को प्रदान किए जाएंगे। समूह के मामले में, 50.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाएं को सहायता दी जाएगी।

(ii) अधिकतम 6% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।

(iii) ऋण 7 वर्षों में चुकाया जाएगा।

(iv) मशीन खरीदने वाले सफाई कर्मचारियों को कार्य का आश्वासन देने के लिए संबंधित यूएलबी का अनुसरण किया जाएगा जैसा कि निम्नानुसार दर्शाया गया है: ।

5.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत	परियोजना लागत का 50%
5.00 लाख रुपए से अधिक और 15.00 लाख रुपए तक की परियोजना लागत	रु. 2.50 लाख + रु. 5.00 लाख से अधिक शेष परियोजना लागत का 25%
रु. 50.00 लाख तक की लागत वाली समूह परियोजनाओं के लिए प्रत्येक लाभार्थी परियोजना शेयर के साथ अधिकतम रु. 10.00 लाख तक।	उपरोक्त के समान अधिकतम प्रति सदस्य पूंजीगत अनुदान 3.75 लाख रुपये और अधिकतम समूह परियोजना अनुदान 18.75 लाख रुपये।

(v) मशीन खरीदने वाले सफाई कर्मचारियों को कार्य आश्वासन प्रदान करने के लिए संबंधित यूएलबी का अनुसरण किया जाएगा"

8.7 सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मारे गए सीवर कर्मचारियों के परिवारों को दिए गए मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

"आज तक जो हमारे पास जो टोटल डेथ्स की संख्या रिपोर्टेड है, वह 1035 है। इसके बारे में मैंने पिछले साल स्डैंडिंग कमेटी में आपके माध्यम से बताया था कि जिनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है, उसमें केवल 104 लोग थे। यह आंकड़ा अब घटकर के सिर्फ 74 रह गया है। इनमें से 836 लोगों को फुल कंपनसेशन दे दिया गया है। फुल कंपनसेशन का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अनुसार 10 लाख का पूरा मुआवजा दिया गया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी संख्या 112 हैं, उनको पूरा 10 लाख नहीं दिया गया है। उनको 10 लाख से थोड़ा कम दिया गया है।"

8.8 सफाई के लिए सेप्टिक टैंकों में प्रवेश करने से पहले सुरक्षित गियर/उपकरण प्रदान नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने विचार-विमर्श के दौरान बताया कि**:-**

"इसमें हमारा दायित्व बनता था कि हम सब के अगेंस्ट एफ आई आर लॉज करवाएं। इसमें आज की तारीख में काफी बढ़ोतरी हुई है। हम जितने केसेज मॉनिटर करते हैं, उसके बारे में हम रेगुलरली प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को लिखते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और हमसारे केसेज को एन सी एस के को भी फॉरवर्ड करते हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 616 केसेज में एफ आई आर लॉज हो चुकी हैं। जो लेटली केसज हो रही हैं, उसमें हरेक केस में एम एस एक्ट के अंतर्गत एफ आई आर लॉज होर ही है। पहले कई बार एफ आई आर लॉज नहीं होती थी।"

8.9 दोषी ठहराए गए/बरी किए गए व्यक्तियों और व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान समिति को बताया कि:-

"अब तक एक दोषसिद्धि हुई है**,** इसलिए हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है. दूसरी बात**,** अभी हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। एक मुआवजा दे रहा है। परिवारों को तत्काल यही धनराशि दिए

जाने की आवश्यकता है। यह पहला भाग है। दूसरा भाग यह है कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कोई मौत न हो। सफाई के समय सीवर कर्मियों की मौत पर जीरो टॉलरेंस की नीति है।"

8.10 उन्होंने आगे कहा कि:-

> "उसके अंदर हमारा दो चीजों के ऊपर विशेष जोर रहेगा। खासकर, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का, जिसको हम महुआ के साथ मिल कर करेंगे। उसमें पहला तो यह है कि जो प्रोटेक्टिव गियर और एस ओपीज होने चाहिए, वह हम बनाएंगे। उसके बाद, एक अवेयरनेस का भी लेवल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि यह हम सब लोगों को एज ए सोसाइटी इम्पैक्ट करता है। इसमें हमें अवेरनेस को ऐसे लेवल पर लेकर जाना है, जहां इंडयूजर और स्टेकहोल्डर्सहैं । उसमें इंडयूजर आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है और जो काम कर रहा है, वह भी आता है, उनको भी कम्प्लीट अवेयरनेस हो कि यदि हमें यह चीज क्लीन करवानी है तो इसे यंत्रीकृत किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर मशीनीकृत वस्तु के माध्यम से ऐसा करना संभव नहीं है, तो गड्ढे के अंदर जाने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से सुरक्षात्मक देखभाल दी जाती है ताकि कोई मौत न हो। हमारा उद्देश्य इस मामले में **जीरो टॉलरेंस** है, मूल रूप से कोई भी मृत्यु नहीं। इसलिए, इस प्रकार की चीजों के साथ, हम एक विस्तृत कार्यक्रम और जागरूकता के मुद्दों के साथ आएंगे।"

8.11 सिर पर मैला ढोने से मुक्त देश की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, क्योंकि देश के सभी राज्यों ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वे हाथ से मैला ढोने से मुक्त हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:-

> "सभी राज्यों ने उच्चतम न्यायालय में शपथपत्र देकर कहा है कि वे मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं। लेकिन पिछले साल, कई नागरिक समाज संगठनों ने हमसे संपर्क किया था। हमने इन मैला ढोने वालों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया था। 2018 में यह सर्वेक्षण नीति आयोग की अध्यक्षता में किया गया था जिसमें सामाजिक न्याय मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय था। हमारे पास राज्य सरकार की भागीदारी थी और हमने देश भर के 194 जिलों में सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, 58098 मैला ढोने वालों की पहचान की गई, जिन्हें हमने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एकबारगी नकद सहायता प्रदान की थी जो हमारे पास उपलब्ध थी और उनमें से कुछ को कौशल और स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए पुनर्वास करने में मदद की थी।

इसके बाद, नागरिक समाज ने 2020 में फिर से हमसे संपर्क किया, और उन्होंने हमें देश के 170 और जिलों की एक सूची दी - मुझे याद नहीं है कि जिलों की सही संख्या कितनी है। हालांकि, वे पहले के सर्वेक्षण में हमारे भागीदार थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभी भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी हाथ से मानव मल उठा रहे हैं।"

8.12 उन्होंने आगे कहा कि:-

"इस समस्या के समाधान के लिए हमने स्वच्छता ऐप नामक एक नए मोबाइल ऐप की अवधारणा तैयार की थी, जिसके तहत देश में कोई भी साफ की जा रही स्वच्छता प्रयोगशाला की तस्वीर क्लिक कर सकता है और हमें इस विशेष गतिविधि को करने वाले मैनुअल स्कैवेंजर के विवरण के साथ यह तस्वीर भेज सकता है। इस ऐप पर हमें 6,000 से अधिक ऐसे आंकड़े रिपोर्ट किए गए थे। इन आंकड़ों को न केवल स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया गया था, बल्कि हमारी अपनी पीएमयू टीम द्वारा भी सत्यापित किया गया था। लगभग 90 प्रतिशत साइटों का दौरा हमारी अपनी पीएमयू टीम द्वारा किया गया था, और कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं मिला था। इसका मतलब है कि कोई भी इस विशेष गतिविधि को नहीं कर रहा था, जो मानव मल को हाथ से उठा रहा है।

हमने अभी भी विभिन्न राज्य सरकारों के प्रधान सचिवों से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे एक और बार देखें, यहां तक कि एक और अंतिम बार, यदि कुछ लोग हैं जो अभी भी मैला ढोने की प्रथा में लगे हुए हैं, तो वे अभी भी अपने पुनर्वास के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए, हमने उन्हें फिर से जिलों में समीक्षा करने और हमें रिपोर्ट करने का एक और अवसर दिया। इसलिए, हमने वह गतिविधि शुरू की है जो हमने पिछले साल शुरू की थी, और उसके बाद ऐप डेटा को भी ठीक किया गया था। हमने सभी राज्य सरकारों और सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था कि वे समीक्षा करें और यदि उन्हें अब भी लगता है कि कोई यह काम कर रहा है तो वे इसकी सूचना हमें दें।"

8.13 योजना के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए कौन से विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं और उनकी मृत्यु के मामले में विभाग द्वारा कर्मचारी की देयता कैसे वहन की जाएगी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013" के प्रावधानों के अनुसार खतरनाक सफाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके तहत बनाए गए नियम और शहरी आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानी निर्धारित की गई है। शहरी आवासन कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएलबीके लिए रेडी रेकनर भी जारी किया है। स्थानीय अधिकारी सुरक्षा उपाय करने के लिए जिम्मेदार हैं जैसे कि सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट प्रदान करना और सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान और बाद में सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। हालाँकि, नमस्ते पीपीई किट और सुरक्षा उपकरणों के वितरण का भी प्रावधान करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के अनुसार, सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय एक श्रमिक की मृत्यु के मामले में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीड़ित के परिवार को 10.00 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।"

8.14 स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"योजना के कार्यान्वयन के दौरान सशक्त आईईसी हस्तक्षेप किए जाने का प्रस्ताव है जो अन्य बातों के साथ-साथ केवल औपचारिक प्रणाली के माध्यम से नागरिकों के बीच स्वच्छता कर्मियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने और सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लक्षित होगा। आईईसी अभियान यूएलबी और एनएसकेएफडीसी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा ताकि सुरक्षित और स्वस्थ सफाई प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और केवल सूचीबद्ध पीएसएसओ/विक्रेताओं के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। ये आउटरीच कार्यक्रम घरेलू/व्यक्तियों/आरडब्ल्यूए/मॉल मालिकों/अस्पतालों/होटलों और ठेकेदारों को शिक्षित करने के लिए नागरिक केंद्रित होंगे। सीवर सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाओं का आयोजन यूएलबी में एमएस अधिनियम 2013 के तहत दंडात्मक प्रावधानों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए किया जाएगा।"

8.15 समिति नोट करती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को सम्मान प्रदान करने के लिए 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम (**NAMASTE**)' नामक एक योजना तैयार की गई है। इसे 2025–26 तक अगले तीन वर्षों के दौरान 350.00 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 4800+ यूएलबी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जाना है। इस संबंध में, समिति ने पाया कि यूएलबी से देश में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की संख्या का बुनियादी डेटा एकत्र करने और उनकी प्रोफाइलिंग करने की योजना के बाद योजना को 2023–24 से लागू करने के लिए तैयार किया गया है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **NAMASTÈ के अंतर्गत** जिम्मेदार स्वच्छता प्रामाणिकता **इकाइयों** और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के तहत मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना है। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग **सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की** यूएलबी से सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के डेटा को प्राप्त करने और संकलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जल्द से जल्द स्वच्छता **प्रमाणिकता** इकाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ लगातार प्रयास करे ताकि निर्धारित लक्ष्य को नियत समय पर प्राप्त किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि प्रत्येक यूएलबी द्वारा डेटा संग्रह के कार्य को पूरा करने के साथ–साथ इन निकायों द्वारा

सीवर की सफाई के लिए मशीनों की खरीद के लिए एक समय सीमा तय करने की आवश्यकता है। समिति इस संबंध में किए गए उपायों के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहेगी।

8.16 सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 1035 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है, जिनमें से 74 को सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27 मार्च 2014 के निर्णय के बावजूद अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया **था** कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों पीड़ित के परिवार को 10.00 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित **होना** चाहिए। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि ऐसे श्रमिकों की पहचान के लिए, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मैला ढोने के अस्तित्व के बारे में जानकारी को सत्यापित करने के लिए 'स्वच्छता ऐप' नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से यह सुनिश्चित करे कि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त **हों**। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सख्ती से लागू किए **जाएँ**। वे विभाग से उचित उपाय करने का भी आग्रह करेंगे, ताकि 74 मौतों के पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जा सके। ठेकेदारों द्वारा सीवर और सेप्टिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए दंड और दोषसिद्धि के संबंध में मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन **की भी आवश्यकता** है ताकि ठेकेदारों को मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के लिए तुरंत पकड़ा और दोषी ठहराया जा सके। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

वह जल्द से जल्द देश भर में सीवर की सफाई के काम का मशीनीकरण करने का आग्रह **भी करती** हैं।

अध्याय-नौ

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्रही (पीएम दक्ष)

प्रधानमंत्री दक्षता और कुशल संपन्ना हितग्रही (पीएम दक्ष) योजना तीन निगमों, एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के माध्यम से कार्यान्वित कूड़ा बीनने वालों सहित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता कर्मचारियों को कवर करने वाले वंचित व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस योजना के तहत, एनएसएफडीसी 18-45 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए एसडीटीपी प्रायोजित कर रहा है।एनबीसीएफडीसी अपने लक्षित समूह अर्थात 3.00 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, 1.00 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और बिना आय मानदंड के विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण, अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूह को अल्पकालिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

9.2 वित्तीय वर्ष **2021-22** से, पीएम-दक्ष योजना के तहत एसडीटीपी को एक समर्पित पीएम-दक्ष पोर्टल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण के लिए वास्तविक व्यक्तियों का चयन किया गया है, उम्मीदवारों को अपेक्षित जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, जाति, जन्म तिथि, को भरकर पीएम-दक्ष पोर्टल पर अपनी उम्मीदवारी दर्ज करनी होगी। शैक्षिक योग्यता और पोर्टल पर उनकी साख के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करना।किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उनका चयन करते समय संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा उनकी साख का सत्यापन किया जाता है। जैसे ही आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल बंद हो जाता है, वैसे ही उम्मीदवार जिन्होंने किसी विशेष प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प चुना है, पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे। योग्यता और साइकोमेट्रिक परीक्षण के आधार पर उपयुक्त पाए जाने वाले सभी उम्मीदवारों को स्वचालित रूप से पीएम-दक्ष पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा।

9.3 वर्ष 2021-22, 2022-23 के दौरान निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य सहित बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय और 2023-24 के के बजटीय अनुमान निम्नवत है:-

(करोड़ रू. में)

	2021-22					2022-23					2023-24	
	बीई	आई	एई	निश्चित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	बीई	आई	एई	निश्चित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	बीई	लक्ष्य
अ.जा.	60.00	38.94	33.21			40.00	40.00	0.00			43.73	11000
अ.पि.व.	40.00	40.54	35.02	10.00	82.83	44.00	44.00	0.00	10.00	92.58	48.74	

9.4 ऐसे संगठन जिनको लोगों के कौशल विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"प्रशिक्षण संस्थानों की सूची को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तीनों निगमों (कार्यान्वयन एजेंसियों) और आईएफडी सहित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों वाली समिति की सिफारिश के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों (ज्यादातर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान और कुछ निजी प्रशिक्षण संस्थान लेकिन गैर सरकारी संगठन नहीं) का चयन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाएगा:

(i) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) योजना के साथ सूचीबद्ध;

(ii) प्लेसमेंट रिकॉर्ड सहित पिछला प्रदर्शन;

(iii) औचक निरीक्षण के दौरान अपनी रिपोर्ट में पीएमयू टीम की सिफारिशें/टिप्पणियां।"

9.5 योजना की शुरुआत से इस योजना के तहत व्यक्तियों को कुशल बनाने के लिए एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के लिए वार्षिक रूप से आवंटित धनराशि के संबंध में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर बताया कि:-

"स्वीकृत एसएफसी के अनुसार, योजना के तहत व्यक्तियों के कौशल के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक धन आवंटित किया गया है। पीएम-दक्ष योजना के तहत एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए एमओएसजेएंडई द्वारा एनएसएफडीसी को जारी, एनएसएफडीसी द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को जारी की गई धनराशि और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (प्रारंभ के आधार पर) का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	एसएफसी के अनुसार आवंटित निधि	एमओएसजेई द्वारा एनएसएफडीसी के लिए जारी निधि	कार्यनिष्पादन	
			एनएसएफडीसी द्वारा टीआई के लिए जारी निधि	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (प्रारंभ के आधार पर)
2020-21	17.61	17.61	11.86	8064
2021-22	38.94	33.21	22.52	16395
2022-23	40.07	0*	4.25*	9193

* एनएसएफडीसी ने पीएम-दक्ष योजना के तहत वित्तीय वर्ष **2020-21** और **2021-22** के लिए प्राप्त धनराशि में से सीएनए खाते से **4.25** करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इसके अलावा**,** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य मानदंडों के अनुसार**,** एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए धनराशि मील के पत्थर के आधार पर (**3** किश्तों में) जारी की जाती है**,** अर्थात प्रारंभ पर **30%,** पूर्ण होने पर **40%** और **30%** प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में।

<u>एनएसकेएफडीसी:</u> सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्तुत सहायता अनुदान अनुरोध के अनुसार शीर्ष निगमों को धन आवंटित किया जाता है।

<u>एनबीसीएफडीसी:</u> स्वीकृत एसएफसी के अनुसार योजनान्तर्गत व्यक्तियों के कौशल हेतु वित्तीय वर्ष **2020-21** से **2025-26** तक धनराशि आवंटित की गयी है। पीएम-दक्ष योजना के तहत एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी, एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को जारी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (प्रारंभ के आधार पर) का विवरण निम्नवत दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**एसएफसी के अनुसार आवंटित निधियां**	**एमओएसजेई से प्राप्त निधियां (करोड़ में)**	**प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ (लाभार्थियों की संख्या)**	**एनबीसीएफडीसी द्वारा टीआई को जारी निधियां (करोड़ में)**
2020-21	20.28	20.28	15750	17.05
2021-22	32.77	28.42	18156	18.97
2022-23	33.82	0.00*	13375	3.61*

* एनबीसीएफडीसी ने पीएम-दक्ष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-021 और 2021-22 के लिए प्राप्त धन में से सीएनए खाते से 3.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

9.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कम व्यय के कारणों और **2023-24** के लिए आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों बताया कि:-

"<u>एनएसएफडीसी:</u> आवंटन से कम व्यय के कारण निम्नवत दिए गए हैं:-

(क) कोविड-**19** महामारी के प्रकोप और उसके बाद केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन/प्रतिबंधों के कारण अप्रैल से सितंबर, **2020** के दौरान प्रशिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसलिए वित्त वर्ष **2020-21** के लिए लक्ष्य को घटाकर **50%** कर दिया गया। इसके अलावा, कोविड-**19** की दूसरी लहर के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों को अप्रैल-अगस्त, **2021** के दौरान फिर से बंद कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने,पूरा करने, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने और निधियां जारी करने में देरी हुई।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य मानदंडों के अनुसार, एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए निधियां माइलस्टोन के आधार पर (**3** किस्तों में) अर्थात प्रारंभ होने पर **30%,** पूरा होने पर **40%** और प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट पर **30%**, जारी की जाती हैं। पूरी प्रक्रिया में अर्थात उम्मीदवारों को जुटाने/पंजीकरण से लेकर तीसरी किस्त जारी करने तक, विशेष रूप से लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग **1** से **1½** वर्ष लगते हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय**,** भारत सरकार द्वारा दिनांक **09.03.2022** के कार्यालय ज्ञापन संख्या **1 (18)** पीएफएमएस/एफसीडी/**2021** द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार**, 2020-21** और **2021-22** के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत पूर्व में प्राप्त समस्त अव्ययित निधियों को सितंबर**, 2022** के महीने में सीएनए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। तदनुसार**,** वित्तीय वर्ष **2020-21, 2021-22** और **2022-23** के दौरान एसडीटीपी संचालित प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त दावों के लिए धनराशि उक्त सीएनए खाते से जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त**,** उपर्युक्त सीएनए दिशानिर्देशों के खंड-**3(ix)** के अनुसार**,** पूर्व में जारी की गई निधियों के कम से कम **75%** के उपयोग पर ही और निधियां जारी की जानी थीं। चूंकि निधि का संचयी उपयोग **75%** से कम था**,** इसलिए वित्तीय वर्ष **2022-23** के लिए एमओएसजेई द्वारा एमओएसजेई को कोई निधि जारी नहीं की गई थी। सीएनए खाते से वित्तीय वर्ष **2022-23** के लिए एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को एनएसएफडीसी के तहत **4.25** करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हाल ही में**,** एनबीसीएफडीसी ने वित्त वर्ष **2020-21 (**17.61 करोड़ रुपये) और **2021-22 (**33.21 करोड़ रुपये) जो कि 76.01**%** है, के दौरान एमओएसजेई द्वारा जारी किए गए 50.82 करोड़ रुपये की तुलना में **3**8.63 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद**,** एसजेई मंत्रालय से पीएम-दक्ष योजना के तहत वित्त वर्ष **2022-23** के लिए से **1**6 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है।

<u>एनबीसीएफडीसी</u>

एनबीसीएफडीसी ने पीएम-दक्ष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-021 और 2021-22 के लिए प्राप्त निधि में से सीएनए खाते से 3.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.03.2022 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (18) पीएफएमएस/एफसीडी/2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 2020-21 और 2021-22 के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत पूर्व में प्राप्त संपूर्ण अव्ययित निधियों को सितंबर, 2022 में सीएनए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान एसडीटीपी संचालित प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त दावों के लिए धनराशि उक्त सीएनए खाते से जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सीएनए दिशानिर्देशों के खंड-3(ix) के अनुसार, पूर्व में जारी की गई निधियों के कम से कम 75% के उपयोग पर ही आगे निधियां जारी की जानी थीं। चूंकि निधि का संचयी उपयोग 75% से कम था, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एमओएसजेई द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई थी। तथापि, सीएनए खाते से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को

3.61 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हाल ही में, एनबीसीएफडीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 (20.28 करोड़ रुपये) और 2021-22 (28.42 करोड़ रुपये) जो कि 75% से अधिक है, के दौरान एमओएसजेई द्वारा जारी किए गए 48.70 करोड़ रुपये की तुलना में 36.81 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद, डीओएसजेई पीएम-दक्ष योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए से 14.13 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है:-

(क) अप्रैल**, 2023** तक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन।
(ख) चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को **15** जून**, 2023** तक एक बार में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मंजूरी।
(ग) एनएसएफडी के लिए जुलाई**, 2023** और एनबीसीएफडी के लिए अगस्त**, 2023** में प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत।
(घ) एनएसएफडीसी के लिए फरवरी **2024** तक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा एसडीटीपी और एनबीसीएफडीसी के लिए वित्तीय वर्ष तक पूरा करना।
(ङ) निधियां समय-समय पर सामान्य मानदंडों के अनुसार जारी की जाएंगी।

<u>एनएसकेएफडीसी</u>

कोविड-**19** महामारी के कारण वित्तीय वर्ष **2020-21** में प्रशिक्षण प्रभावित हुआ था। इसके अलावा सीएनए खाते के तहत मंजूरी और निधियों के हस्तांतरण के अनुसार महत्वपूर्ण उपलब्धि के आधार पर भुगतान किया जाता है**,** इसलिए खर्च नहीं की गई राशि का उपयोग वित्त वर्ष **2022-23** के लिए भुगतान करने के लिए किया गया था। वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए**,** यह परिकल्पना की गई है कि अधिकांश प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे**,** जिससे उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च में वृद्धि होगी।

9.7 देश में एसी, ओबीसी की जनसंख्या के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में विभाग के कार्यनिष्पादन के बारे में पूछे जाने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

<u>"एनएसएफडीसी</u>

पीएम-दक्ष स्कीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 2020-21 के दौरान पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसका कार्य प्रभावित हुआ था। हालाँकि, एसएफसी ने 2,71,000 व्यक्तियों को कवर करने के लिए 450.25 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2021-22 से 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के लिए स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें से एनएसएफडीसी (एससी) के लिए वितीय और वास्तविक लक्ष्य) 1,05,600 व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 212.58 करोड़ रुपये हैं।

जैसे कि पीएम-दक्ष स्कीम के तहत एसडीटीपी देश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि लक्षित समूहों से 18-45 वर्ष की आयु के बीच इच्छुक अकुशल/अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए हैं।

<u>एनबीसीएफडीसी</u>

जैसे कि पीएम-दक्ष स्कीम के तहत एसडीटीपी देश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि लक्षित समूहों से 18-45 वर्ष की आयु के बीच इच्छुक अकुशल/अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए हैं।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएनए खाते से एसडीटीपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को 3.61 करोड़ रुपये जारी किए गए है। हाल में वित्तीय वर्ष 2020-21 (20.28 करोड़ रुपये) और 2021-22 (28.42 करोड़ रुपये) (जो 75 प्रतिशत से ज्यादा है) के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 48.70 करोड़ रुपये के सापेक्ष 36.81 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत एनबीसीएफडीसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से पी-दक्ष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14.13 करोड़ रुपये जारी कीने का अनुरोध किया है।"

9.8 प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–डीएकेएसएच) योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता कामगार और कचरा बीनने वालों को कवर करने वाले वंचित व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय

कार्य योजना है। यह योजना एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी नामक तीन निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। समिति ने पाया है कि एनएसएफडीसी ने 2020–21 और 2021–22 के दौरान जारी किए गए 50.82 करोड़ रुपये के मुकाबले 38.63 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए हैं और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 16.00 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। इसी तरह, **NBCFDC** ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 14.13 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्होंने 2020–21 और 2021–22 में जारी किए गए 48.70 करोड रुपये के मुकाबले 36.81 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र जमा किए हैं। 2023–24 के दौरान बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग करने के लिए, समिति चाहती है कि विभाग एक डिजिटल प्रणाली विकसित करे जहां धन के आवंटन के 75 प्रतिशत उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र समय पर प्राप्त हो और शेष अनुदान कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाए। समिति यह भी आग्रह करेगी कि धन की बेहतर निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस के तहत स्थापित एसएनए प्रणाली को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए ताकि आवंटित धन का कम उपयोग न हो। समिति विभाग से यह भी आग्रह करेगी कि एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुरोध की गई धनराशि को तुरंत जारी करें ताकि एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी,

स्वच्छता कामगारों को कुशल बनाने का काम अबाध रूप से चलता रहे हो। समिति विभाग द्वारा की गई पहलों की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय- दस

<u>वरिष्ठ नागरिक</u>

2011 की जनगणना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों (**60** वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग) की कुल जनसंख्या **10.38** करोड़ है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की आबादी क्रमशः **5.11** करोड़ और **5.27** करोड़ है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, **2026** तक देश में **60** से अधिक वर्षों की अनुमानित आबादी **16.28** करोड़ होने की उम्मीद है। विभाग की विभिन्न योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना (आई.पी.एस.आर.सी.) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रम), सतत देखभाल गृहों आदि जैसी परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे गृहों के निवासी लाभार्थी, जो गरीब वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें आश्रय, पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक हमने से देश के **764** में **296** जिलों को कवर किया है। मंत्रालय का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (आईपीएसआरसी) के तहत देश के प्रत्येक जिले को कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक गृह के साथ कवर करना है - राज्य विशिष्ट गतिविधियों, चल रही मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों, चल रहे फिजियोथेरेपी क्लीनिकों आदि के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

10.2 विभाग ने **1** अप्रैल **2017** को बीपीएल श्रेणी से संबंधित पात्र वरिष्ठ नागरिकों या **15,000** रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) शुरू की। आरवीवाई का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में लगभग सामान्य स्थिति लाना है। यह योजना सरकार के पीएसयू आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (एलिम्को) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अब तक देश के **764** जिलों में से **264** को इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। मंत्रालय का उद्देश्य इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले को कवर करना है।

10.3 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुरुपयोग और बचाव के मामलों में मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और फील्ड हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए **1** अक्टूबर **2021** को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन यानी एल्डरलाइन शुरू की गई थी। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (**NISD)** एल्डरलाइन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (**CNA)** है। **31** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एल्डरलाइन को चालू रखा है।

10.4 विभाग ने बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में सोचने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने और बुजुर्गों की देखभाल के लिए नवीन विचारों के साथ आने और इक्विटी सहायता प्रदान करके उन्हें स्टार्ट-अप में बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल **SAGE** लॉन्च किया है। स्टार्ट-अप्स को अपना नवोन्मेषी प्रस्ताव सेज पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। चयनित स्टार्ट-अप (एस) को प्रति परियोजना **1** करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) वेंचर कैपिटल लिमिटेड मंत्रालय की ओर से अभिनव स्टार्ट-अप परियोजनाओं को दी जाने वाली इक्विटी सहायता (**49%** से अधिक नहीं) रखेगा। स्टार्ट-अप के चयन के लिए एनआईएसडी की अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) आवेदनों का मूल्यांकन करती है और सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति परियोजना के अंतिम चयन के लिए सिफारिशों पर विचार करेगी।

10.5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (एमडब्ल्यूपीएससी) दिसंबर **2007** में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यकता आधारित रखरखाव और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, **2019** को संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विधेयक में सरकारी संशोधन तैयार किया जा रहा है।

10.6 आईपीएसआरसी के लिए **2020-21, 2021-22** और **2023-24** के लिए बजटीय अनुमान (जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) शामिल थी) क्रमशः **200** करोड़ रुपये, **300** करोड़ रुपये और **150** करोड़ रुपये था। आईपीएसआरसी के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

	आईपीएसआरसी सकल बजटीय			
वित्तीय वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभार्थी

2019-20	**90**	**107.30**	**107.30**	**1,09,085**
2020-21	**130**	**130**	**130**	**136415**
2021-22	**300**	**150**	**95.55**	**139385**
2022-23 (18.01.2023 तक)	**150**	**150**	**33.14**	**33,975**

10.7 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार जानकारी दी:

"आईपीएसआरसी- आईपीएसआरसी के तहत नई परियोजनाओं का चयन करते समय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सिफारिश अनिवार्य है। मंत्रालय ने वर्ष /**2021-22** के दौरान **104** गैप जिलों में और **2022-23** के दौरान **103** गैप जिलों में नई परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए। वर्ष **2021-22** के लिए छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना से राज्य की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

वर्ष **2022-23** के लिए बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मूकश्मीर-, झारखंड, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। सभी राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों से / राज्य की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

एसएपीएसआरसी- वर्ष **2019-20** के दौरान सभी राज्योंकेंद्र शासित प्रदेशों को सहायता / अनुदान प्रदान किया गया। हालांकि तब से उपयोगिता प्रमाण पत्र, एसएनए अनुपालन जैसे मामले लंबित हैं। लंबित यूसी की सूची परिशिष्ट क में है, और लंबित एसएनए का अनुपालन परिशिष्ट ख में है।-

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)- शिविर मोड में लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से जिलों में शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य संघ राज्य क /ेषत्र इस स्कीम में अच्छा सहयोग कर रहे हैं।

एल्डरलाइन- एल्डरलाइन को राज्योंसंघ शासित प्रदेशों और निजी कार्यान्वयन एजेंसियों के/ सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक अंडमाननिकोबार-, लक्षद्वीप, हरियाणा,

पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्यों केंद्र शासित/प्रदेशों ने अभी तक एल्डरलाइन को चालू नहीं किया है ।

10.8 आईपीएसआरसी के मूल्यांकन के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि: -

"आईपीएसआरसी की योजना का मूल्यांकन **2019** के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है**:-**

एक. 8 राज्यों के 93 जिलों में कुल **2310** वरिष्ठ नागरिकों का साक्षात्कार लिया गया।

दो. आईपीएसआरसी के वरिष्ठ नागरिक गृहों में शामिल होने से पहले**:-**

क. **75%** अपने घरों में रहते थे।

ख. **2310** में से **1821** ग्रामीण क्षेत्रों से थे।

ग. **75%** स्व-नियोजित थे**, 16.8%** बेरोजगार थे

घ. **67%** लोगों ने **15-20** हजार रुपये के बीच अर्जित किया।

ङ. **60%** कैदी बच्चों के साथ रहते थे

च. उनमें से **40%** ने बताया कि जब वे वहां रहते थे तो परिवार के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था

तीन**.** मूल्यांकन की सिफारिश -

क. घरों में जीआईए की वृद्धि

ख. आरआरटीसी को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए

ग. आदर्श वरिष्ठ नागरिक गृहों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें दोहराया जाना चाहिए

घ. मंत्रालय की टीमों द्वारा बार-बार औचक दौरा

ङ. स्कीम का दायरा अन्य राज्यों में बढ़ाया जाना चाहिए

च. आईपीएससी को जारी रखा जाना चाहिए

10.9 देश में वृद्धाश्रम सहित वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि:

> "सीनियर सिटिजन्स के लिए हमारी जो स्कीम चल रही है, उसमें एन जी ओज के थ्रू हम सीनियर सिटिजन्स होम्स चला रहे हैं। मेरा यह अनुमान है की सिर्फ हमारा विभाग ही नहीं, अन्य लोग भी अपने-अपने तरीकों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि वे हमसे ग्राण्ट नहीं लेतेहैं। दूसरी बात यह है कि वृद्धावस्था में जिस तरीके की चीजों की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है कि हर कोई वृद्ध आश्रम में आए, तभी उसी देखभाल हो सके। उनकी जिस तरह की जरूरतें होती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी एक एल्डर लाइन चलती है, जिस का एक नम्बर है और यह लाइन एक साल से चल रही है। उसका फीडबैक काफी अच्छा आया है, लेकिन हम इसको आगे और सशक्त करना चाहते हैं। हमारे पास सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर फण्ड है, उसके तहत हम कई स्कीम्स बना रहे हैं, जो अगले साल से लागू होंगी।"

10.10 विभाग ने आगे बताया कि:

> **"हमारी भी यही कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए हम एक सीनियर सिटिजन्स होम खोलें।"**

10.11 **2020-21 से 2022-23** तक संशोधित चरण में अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत बजट अनुमानों को कम करने के कारणों और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान धन के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> **"प्रमुख कारक यह है कि मंत्रालय को पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, और फिर कई गैर-सरकारी संगठन कई बार मांगने के बाद भी छूटे हुए दस्तावेज प्रदान नहीं करते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान मंत्रालय की परियोजना निगरानी इकाई से नकारात्मक निरीक्षण रिपोर्टों, और गैर-सरकारी संगठनों को अपनी बात स्पष्ट करने का उचित अवसर देने के बाद, के आधार पर कुल 139 परियोजनाओं को सहायता अनुदान रद्द कर दिया गया है।".**

10.12 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की तकनीकी जनसंख्या अनुमान की रिपोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के बारे में पूछे जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> "आईपीएसआरसी की स्कीम जिसके तहत आश्रय, पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन प्रदान किया जाता है, देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए है। इसी तरह, सभी जिलों को आरवीवाई के तहत कवर किया जाना है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को समग्र कल्याण प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने एल्डरलाइन एसएजीई 1 और एसएपीएसआरसी जैसे नए उपायों की शुरुआत की है। आईपीएसआरसी स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में किया जाएगा। इस स्कीम में आवश्यक परिवर्तनों का पर्ता लगाने के लिए विचारार्थ विषयों में बदलते परिदृश्य में विचारर्थ विषयों को भी शामिल किया जाएगा।"

10.13 **समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार देश में 60 से अधिक वर्षों वाले व्यक्तियों की संख्या 2011 के 10.38 करोड़ से बढ़कर 2026 में 17.32 करोड़ होने की संभावना है। समिति यह जानकर खुश है कि विभाग का देश के प्रत्येक जिले को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्रवाई के तहत कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक गृह के साथ कवर करने का प्रस्ताव है और देश के प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य है। समिति पाती है कि 296 जिलों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) के तहत शामिल किया गया है। समिति यह भी पाती है कि 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना, बीपीएल श्रेणी से संबंधित पात्र वरिष्ठ नागरिकों या 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसमें देश के 264 जिलों को भाामिल किया जा चुका है। हलांकि, इस संबंध में कोई समय–सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती हैं कि देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरण–वार समय सीमा तय की जाए।**

समिति यह भी पाती है कि 2021–22 में **IPSrC** के लिए 300.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान को 2022–23 में घटाकर 150.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और विभाग केवल 33.14 करोड़ रुपये खर्च कर सका, क्योंकि विभाग को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण प्रस्ताव नहीं मिले। **इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाएं ताकि बजटीय आवंटन का सार्थक उपयोग किया जा सके और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। समिति को आशा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 2019 में किए गए आईपीएसएससी के मूल्यांकन अध्ययन में की गई सिफारिशों को लागू किया गया होगा और योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाया गया होगा, और यह उम्मीद करती है कि 2023-24 के दौरान प्रस्तावित तृतीय पक्ष मूल्यांकन का अध्ययन होगा ताकि भविष्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए अच्छे सुझाव लाए जा सके।**

10.14 समिति नोट करती है कि सर्वेक्षणों के अनुसार हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसलिए यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि बुजुर्ग प्रसन्न, स्वस्थ, आर्थिक रूप से सबल और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। इस संबंध में समिति ने याद दिलाया कि उन्होंने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और

कल्याण विधेयक, 2019 की जांच की थी और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह बताया गया है कि मंत्रालय में विधेयक का आधिकारिक संशोधन तैयार किया जा रहा है। समिति आशा करती है कि इसे जल्द ही तैयार कर कानून के लिए लाया जाएगा ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और उनके कल्याण को ठोस कानूनी सहायता मिल सके। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एवीवाईएवाई, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष आदि को लागू करने के अलावा, मंत्रालय कथित तौर पर कई पहल भी कर रहा है, जिनमें से एक एसएजीई है, जो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन आधारित पोर्टल है जो विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स द्वारा बुजुर्गों के देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच के लिए वन स्टॉप एक्सेस है। 5 जून, 2021 को खोला गया यह पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्र, खाद्य और धन प्रबंधन, कानूनी मार्गदर्शन के साथ-साथ वित्त से संबंधित तकनीकी पहुंच से जुड़े क्षेत्रों में नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर स्टार्ट अप को चयनित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेगा। ऐसे स्टार्ट अप को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं। इस नई पहल की सराहना करते हुए समिति को

सूचित किया गया है कि एसएजीई पोर्टल के माध्यम से 12 स्टार्ट अप को समर्थन दिया गया है/जा रहा हैं, और पिछले दो वर्षों में इन स्टार्ट अप द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के बारे में समिति अवगत होना चाहती है। समिति यह जानकर खुश है कि एल्डरलाइन अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी ताकि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निःशुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन, दुराचार और बचाव के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एल्डरलाइन को चालू रखा है। समिति मंत्रालय के इस इरादे की सराहना करती है कि उसने युवाओं और नवप्रवर्तको को शामिल करने और सामाजिक उद्यमों, तकनीकी स्टार्ट अप, कानूनी और वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और प्रबंधित-देखभाल प्रणालियों के साथ-साथ अनुसंधान और डाटा प्रेरित संगठनों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए बुजुर्गों की देखभाल के कार्यक्रमों को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है। समिति का मानना है कि इस तरह के प्रयासों के गति पकड़ने से भारत

में एक अधिक मजबूत बुजुर्ग देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकेगा।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2023
01 चैत्र, 1945 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट

टिप्पणियां/सिफारिशें का विवरण

क्रम सं	पैरा सं	टिप्पणियां/सिफारिशें
1	2.18	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का जनादेश अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित **वर्गों** से जुड़ा है जिसके **अंतर्गत** अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़ा वर्गों, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान और नशीलें पदार्थों से पीड़ित, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, विअधिसूचित और खानाबदोश जनजातियां (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर **वर्ग** (ईडब्ल्यूएस) सम्मिलित हैं। उन्हें उत्पादक, सुरक्षित और गरिमामय जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना, उनकी सभी मूल आवश्यकताएं **पूरा करना** और उनके विकास और उन्नति के लिए समान अवसर सुनिश्चित **करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है**। (एक) अनुसूचित जातियों (SCs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) का शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण; (दो) वरिष्ठ नागरिकों को उनके भरण–पोषण, कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उत्पादक और स्वतंत्र जीवन के लिए सहायता; और (तीन) नशीलें पदार्थों के दुष्प्रभाव से पीड़ित व्यक्तियों, जिसके लिए **'होल पर्सन** रिकवरी' दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्वास के लिए विभाग के विभिन्न कार्यकमों/योजनाओं के माध्यम से **इन** लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है जिसके लिए विभाग को प्रत्येक वर्ष ईएफसी/एसएफसी द्वारा सम्यक विचार के बाद आवंटन मिलता है। साक्ष्य के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि 'मिशन कर्मयोगी' के तहत, भारत सरकार के अन्य विभागों की तुलना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सबसे आगे है। चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बेहतर क्षमता के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित

		हैं, समिति आशा करती है कि इससे उनके समग्र प्रदर्शन में और वृद्धि होगी। पिछले वर्षों के बजटीय प्रदर्शन पर आते हुए, समिति ने नोट किया कि 2020–21 में 10,103.57 करोड़ रुपये और 2021–22 में 10,517.62 करोड रुपये के बजटीय अनुमान को 2020–21 के लिए 8207.56 करोड़ और 2021–22 के लिए 10,180.00 करोड़ रुपये के रूप में संशोधित किया गया था, जिसमें से विभाग 2020–21 और 2021–22 में क्रमशः 8,236.84 करोड़ रुपये और 7,459.99 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा। विभाग ने समिति को निधियों के कम उपयोग के कारण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ गैर–कार्यात्मक पाए गए केंद्रों के लिए जीआईए को रद्द करना, डीडीएसी योजना को जारी रखने के लिए अनुमोदन की देर से प्राप्ति और उपयोग प्रमाण पत्र और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में देरी शामिल है। समिति को कोई संदेह नहीं है कि विभाग अपनी वार्षिक मांग/प्रस्ताव तैयार करते समय इन मुद्दों और बाधाओं को हल करने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहा है और निधियों के उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है, क्योंकि निधियों का कम उपयोग योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समिति यह भी पाती है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कतिपय पहल/उपाय किए गए हैं जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली, छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य के हिस्से का पहले रिलीज, जीआईए जारी करने से पहले गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण, आदि, जो भविष्य में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा। समिति, यह भी महसूस करती है कि राज्यों की अपनी हिस्सेदारी पहले जारी करने की नई प्रणाली उन मामलों में गति को धीमा कर सकती है जहां ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो विभिन्न प्रकार के कारणों से समय पर अपना हिस्सा जारी करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। बहरहाल, समिति, कुछ पहलों के सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए, विभाग से 2022–23 और 2023–24 के लिए बजटीय आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने का भी आग्रह करना चाहेगी ताकि समाज के लक्षित वर्ग योजनाओं के लाभ से वंचित न हों।
2	2.19	समिति पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभाग के बजटीय अनुमानों में क्रमिक वृद्धि को नोट करती है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष यानी 2022–23 में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम है। यह कुछ

		योजनाओं के विलय और कुछ योजनाओं में संशोधन के कारण हो सकता है क्योंकि 2021–22 में संचालित 37 योजनाओं को 2023–24 में घटाकर 19 योजना के अंतर्गत कर गया है, जिसके परिणामस्वरूप बजटीय अनुमानों में कमी आई है। समिति की राय है कि संभावित लाभार्थियों का विस्तृत दायरा है इसलिए बजटीय अनुमान के प्रतिशत में वृद्धि की आवश्यकता है और यह पिछले वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय से अलग होना चाहिए क्योंकि इस विभाग का अधिदेश अन्य विभागों से पूरी तरह अलग है और समाज की समग्र प्रगति को गति देने के लिए नितांत आवश्यक है। समिति आशा करती है कि विभाग द्वारा की गई पहल जैसे अधिक एटीएफएस की स्थापना, डीडीएसी के लिए अधिक एनजीओ का चयन, नशा मुक्त भारत अभियान का विस्तार आदि को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमान का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इससे भविष्य में बजटीय अनुमानों के प्रतिशत में वृद्धि होगी।
3	3.13	**समिति पाती है कि एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बजटीय आवंटन को घटाकर 2022-23 और 2023-24 के लिए 500.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसाय में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नाम से दो योजनाओं के विलय के वर्ष यानी 2021-22 में यह 725.00 करोड़ रुपये था। हालांकि, यह विभाग द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तावित 482 करोड़ रुपये की राशि से अभी भी 18 करोड़ अधिक है। 2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग के संबंध में समिति ने विभाग के साक्ष्य से नोट किया कि यह विलय की गई योजना के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रवृत्ति पोर्टल तैयार नहीं थे। समिति आशा करती हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्रोतों से सबसे गरीब पात्र परिवारों की पहचान करने और मिशन मोड में योजना के तहत छात्रों को नामांकित करने के लिए विशेष प्रयास करने से, योजना के तहत मांग बढ़ेगी । समिति यह भी आग्रह करती है कि विभाग के प्लान डिपार्टमेंट द्वारा अन्य बातों के**

		साथ-साथ नोट किए गए आवेदनों की प्रक्रिया, शर्तों की परिभाषा, आदि मामलों पर अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों पर ध्यान दिया जाए। समिति अकादमिक भत्ते के संशोधन के बारे में चाहती है कि लाभार्थियों के हित में शैक्षणिक भत्ते के संशोधन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विभाग द्वारा ठोस प्रयास किए जाएं। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी। **जहां तक इन छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रचार का संबंध है. समिति पोर्टल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से किए गए प्रयासों को नोट करती है। इस संबंध में, समिति यह भी सिफारिश करती है कि लाभार्थियों के बेहतर कवरेज के लिए, गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में भी प्रचार किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधिदेश के अनुसार वंचित वर्गों के कुछ प्रतिशत छात्र यहां भी पढ़ते हैं। समिति स्कूलों में सहायता डेस्क स्थापित करने, स्कूलों की प्रबंधन समितियों तक पहुंचने, सुबह की सभाओं के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं की घोषणा आदि जैसे उपायों की सिफारिश करती है, जिससे उन्हें विश्वास है कि योजना के संभावित लाभार्थियों से बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी।**
4	**4.8**	समिति नोट करती है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत विभाग 2022–23 में 5,660.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से 31 दिसंबर, 2022 तक 2,500.22 करोड़ रुपये खर्च करने में सक्षम रहा है, क्योंकि **नई प्रणाली के अनुसार जो** राज्य संशोधित प्रक्रिया के अनुपालन में अपने छात्रवृत्ति का हिस्सा जारी नहीं कर रहे हैं, पहले **उन्हें** साझा करें **तभी उन्हें और निधि आबंटित की जाएगी** । इस संदर्भ में विभाग ने

		सूचित किया है कि 60 **प्रतिशत** केंद्रीय हिस्सा, 40 **प्रतिशत** राज्य के हिस्से के जारी होने के बाद ही जारी किए जाने का निर्णय लिया गया था। समिति महसूस करती है कि कई राज्य सरकारें **अभी भी** व्यय वहन करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। हालांकि योजना के संचालन में वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण होने के विभाग के इरादे के बारे में कोई संदेह नहीं है। समिति **वंचित** समुदाय के छात्रों के बारे में **उत्कंठित** है, क्योंकि वित्तीय सहायता के अभाव में उनका अध्ययन प्रभावित हो सकता है। इसलिए, समिति का विचार है कि विभाग को इस मुद्दे को उचित स्तर पर उठाना चाहिए। यदि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है तो समिति **उसकी** सराहना करेगी।
5	5.20	समिति नोट करती है कि विभाग ने अनुसूचित जाति के लिए एक व्यापक योजना, युवा अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (श्रेयस) शुरू की है, जिसमें चार छात्रवृत्तियां शामिल हैं, **यानी** राष्ट्रीय **फ़ेलोशिप योजना**, अनुसूचित जाति के लिए निशुल्क कोचिंग, उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना और राष्ट्रीय आवासीय योजना, जिसमें एक योजना की **बजटीय** कमी को दूसरी योजना से पूरा किया जा सकता है। समिति इस बात से भी प्रसन्न है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के तहत 2021–22 से सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है और योजना का लाभ लेने के लिए कुल पारिवारिक आय में भी 6 लाख रुपये को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की **गई** है। योजना के प्रदर्शन के संबंध में, यह देखा गया है कि योजना के तहत वास्तविक व्यय 2020–21 में 390.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 216.93 करोड रुपये, 2021–22 में 450.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 271.21 करोड़ रुपये और 2022–23 में 364.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में 129.14 करोड़ रुपये था। समिति ने पाया कि उप–योजनाओं में व्यय और बजटीय प्रावधान 'अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप' को छोड़कर काफी अच्छे बने हुए हैं, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर बीई कम कर दिया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक

		सशक्तिकरण के लिए सभी उप–योजनाएँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, समिति की राय में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय अनुमान में कटौती नहीं होनी चाहिए। समिति **को** कोचिंग योजनाओं के प्रदर्शन के बारे में भी **अवगत किया गया है कि** आवंटित धन सत्यापन में देरी, शुल्क जमा करने के प्रमाण जमा करने आदि के कारण खर्च नहीं किया जा सका। इसी तरह, उच्च श्रेणी की शिक्षा के तहत खर्च कम था क्योंकि इसमें प्रवेश में और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने में बहुत देरी हुई। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ कारण विभाग के नियंत्रण से बाहर हैं, समिति की राय है कि समय–समय पर मूल्यांकन अध्ययन, जागरूकता अभियान आदि योजना के कार्यान्वयन **में और** सुधार लाएंगे। समिति का दृढ़ विश्वास है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए ईमानदार कदम फलदायी होंगे और छात्रों को अपना बकाया प्राप्त करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः समिति चाहती है कि कमियों का आकलन करने और **उसके लिए** आवश्यक उपाय करने के लिए नियमित अंतराल पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि व्यापक कवरेज देने के लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है ताकि छात्र बड़ी संख्या में भाग लें और योजना का लाभ प्राप्त करें। समिति आशा **करती** है कि 2023–24 के लिए बजटीय अनुमान पूरी तरह से खर्च किए जाएंगे और विभाग के सामने आने वाली कोई भी कठिनाई योजनाओं को **हर** संभव हद तक लागू करने में बड़ी बाधा नहीं बनेगी।
6	**6.14**	समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप–योजना (एससीएसपी से एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जब ये तीन योजनाएं स्वतंत्र रूप से संचालित की गई थीं इनके विलय के बाद का वास्तविक व्यय, प्रधान मंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम) में **(PM-AJAY)** 2020–21 में किए गए 659.92 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय की तुलना में 2021–22 में 1820.32 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। हालांकि, 2022–23 में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली को अपनाने में **समय लगने** के कारण 1950.00 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से 29.34 करोड़

		रुपये का वास्तविक व्यय किया गया। समिति महसूस करती है कि अनुसूचित जाति समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एकीकृत योजना के सभी तीन घटक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य में एसएनए स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि राज्यों को समय पर धन जारी किया जा सके। उपलब्ध उन्नत आईटी उपकरणों के साथ, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं/परिवर्तनों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी, राज्य सरकारों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि, आदि के बारे में समय रहते सचेत कर दें क्योंकि अब नए प्रावधान के तहत धनराशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि राज्यों द्वारा अप्रयुक्त धनराशि वापस नहीं की जाती है या अनुदान में से अगली किस्त जारी करने के लिए उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है। समिति यह भी महसूस करती है कि योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभाग को एक कार्य योजना तैयार करने और पीएम–अजय के तहत समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने **से मदद मिलेगी** है। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग उपयुक्त कदम उठाए ताकि 2022–23 और 2023–24 के लिए किए गए बजटीय आवंटन का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सार्थक उपयोग किया जा सके और नए प्रावधानों के तहत निर्धारित किए गए **तरीके पूर्णतया सफल रहे**। योजना के तहत बड़ी संख्या में एससी गांवों को कवर करने के लिए, समिति सिफारिश करती है कि 'आदर्श ग्राम' के तहत गांव के चयन के लिए निर्धारित जनसंख्या मानदंड की भी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, **उसी प्रकार**, **जैसे** 50 **प्रतिशत** एससी जनसंख्या मानदंड को घटाकर 40 **प्रतिशत** किया गया है। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।
7	7.7	**श्रेष्ठ** (SC के **लिए लक्षित क्षेत्र** SRESTHA) **अर्थात** हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की नई योजना, ` 2022–23 से **'SC** के लिए **VOs** को सहायता' की पिछली योजना के स्थान पर लागू हो **गई** है। संशोधित रूप में, योजना को दो तरीकों से कार्यान्वित किया जा रहा है। मोड–**I** में, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से देश में एक निर्दिष्ट संख्या में मेधावी छात्रों को शीर्ष श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के लिए चुना जाएगा। मोड–**II** के तहत

		आवासीय/गैर–आवासीय स्कूलों की चल रही परियोजनाओं के लिए वीओ/एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी रहेगी। 2023–24 के लिए किया गया 104.65 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन **के विषय में** समिति महसूस करती है कि पिछले वर्षों की तुलना में **इस** बजटीय आवंटन में वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि 2022–23 से श्रेष्ठ में निर्दिष्ट संख्या में छात्रों को उच्च श्रेणी के आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नया घटक जोड़ा गया है। अगर शीर्ष आवासीय हाई स्कूलों की वास्तविक फीस और आवासीय शुल्क को ध्यान में रखा जाए तो समिति स्कूल की फीस और आवासीय शुल्क की प्रतिपूर्ति **के विषय में पाती है कि** वर्तमान में निर्धारित शुल्क काफी कम है इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग शुल्कों को संशोधित करे और उन्हें शीर्ष आवासीय हाई स्कूलों की मौजूदा शुल्क संरचना के **अनुपात में** अनुकूल बनाए।
8	8.15	समिति नोट करती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को सम्मान प्रदान करने के लिए 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम (NAMASTE)' नामक एक योजना तैयार की गई है। इसे 2025–26 तक अगले तीन वर्षों के दौरान 350.00 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 4800+ यूएलबी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जाना है। इस संबंध में, समिति ने पाया कि यूएलबी से देश में सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की संख्या का बुनियादी डेटा एकत्र करने और उनकी प्रोफाइलिंग करने की योजना के बाद योजना को 2023–24 से लागू करने के लिए तैयार किया गया है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए NAMASTÈ **के अंतर्गत** जिम्मेदार स्वच्छता प्रामाणिकता **इकाइयों** और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों के तहत मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना है। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग **सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की** यूएलबी से सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के डेटा को प्राप्त करने और संकलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जल्द से जल्द स्वच्छता **प्रमाणिकता** इकाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ लगातार प्रयास करे ताकि निर्धारित लक्ष्य को नियत समय

		पर प्राप्त किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि प्रत्येक यूएलबी द्वारा डेटा संग्रह के कार्य को पूरा करने के साथ–साथ इन निकायों द्वारा सीवर की सफाई के लिए मशीनों की खरीद के लिए एक समय सीमा तय करने की आवश्यकता है। समिति इस संबंध में किए गए उपायों के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहेगी।
9	8.16	सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 1035 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है, जिनमें से 74 को सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27 मार्च 2014 के निर्णय के बावजूद अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया **था** कि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों पीड़ित के परिवार को 10.00 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित **होना** चाहिए। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि ऐसे श्रमिकों की पहचान के लिए, विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मैला ढोने के अस्तित्व के बारे में जानकारी को सत्यापित करने के लिए 'स्वच्छता ऐप' नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से यह सुनिश्चित करे कि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त **हों**। समिति यह भी चाहेगी कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सख्ती से लागू किए **जाएँ**। वे विभाग से उचित उपाय करने का भी आग्रह करेंगे, ताकि 74 मौतों के पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जा सके। ठेकेदारों द्वारा सीवर और सेप्टिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए दंड और दोषसिद्धि के संबंध में मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन **की भी आवश्यकता** है ताकि ठेकेदारों को मानदंडों के किसी भी उल्लंघन के लिए तुरंत पकड़ा और दोषी ठहराया जा सके। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी। **वह** जल्द से जल्द देश भर में सीवर की

		सफाई के काम का मशीनीकरण करने का आग्रह **भी करती** हैं।
10	**9.8**	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम–डीएकेएसएच) योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता कामगार और कचरा बीनने वालों को कवर करने वाले वंचित व्यक्तियों के कौशल के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। यह योजना एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी नामक तीन निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। समिति ने पाया है कि एनएसएफडीसी ने 2020–21 और 2021–22 के दौरान जारी किए गए 50.82 करोड़ रुपये के मुकाबले 38.63 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए हैं और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 16.00 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। इसी तरह, **NBCFDC** ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 14.13 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है क्योंकि उन्होंने 2020–21 और 2021–22 में जारी किए गए 48.70 करोड रुपये के मुकाबले 36.81 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण–पत्र जमा किए हैं। 2023–24 के दौरान बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग करने के लिए, समिति चाहती है कि विभाग एक डिजिटल प्रणाली विकसित करे जहां धन के आवंटन के 75 **प्रतिशत** उपयोग के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र समय पर प्राप्त हो और शेष अनुदान कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाए। समिति यह भी आग्रह करेगी कि धन की बेहतर निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस के तहत स्थापित एसएनए प्रणाली को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए ताकि आवंटित धन का कम उपयोग न हो। समिति विभाग से यह भी आग्रह करेगी कि एनएसएफडीसी और एनबीसीएफडीसी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुरोध की गई धनराशि को तुरंत जारी **करें** ताकि

		एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता कामगारों को कुशल बनाने का काम **अबाध रूप से चलता रहे** हो। समिति विभाग द्वारा की गई पहलों की स्थिति से अवगत होना चाहेगी।
11	**10.13**	समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार देश में 60 से अधिक वर्षों वाले व्यक्तियों की संख्या 2011 के 10.38 करोड़ से बढ़कर 2026 में 17.32 करोड़ होने की संभावना है। समिति यह जानकर खुश है कि विभाग का देश के प्रत्येक जिले को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्रवाई के तहत कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक गृह के साथ कवर करने का प्रस्ताव है और देश के प्रत्येक जिले को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य है। समिति पाती है कि 296 जिलों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (**IPSrC**) के तहत शामिल किया गया है। समिति यह भी पाती है कि 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना, बीपीएल श्रेणी से संबंधित पात्र वरिष्ठ नागरिकों या 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसमें देश के 264 जिलों को भाामिल किया जा चुका है। हलांकि, इस संबंध में कोई समय–सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए समिति इच्छा व्यक्त करती हैं कि देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरण–वार समय सीमा तय की जाए। समिति यह भी पाती है कि 2021–22 में **IPSrC** के लिए 300.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान को 2022–23 में घटाकर 150.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और विभाग केवल 33.14 करोड़ रुपये खर्च कर सका क्योंकि विभाग को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्ण प्रस्ताव नहीं मिले। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाएं ताकि बजटीय आवंटन का सार्थक उपयोग किया जा सके और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। समिति को आशा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 2019 में किए गए आईपीएसएससी के मूल्यांकन अध्ययन में की गई सिफारिशों को लागू किया गया होगा और योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाया गया होगा, और यह उम्मीद करती है कि 2023-24 के दौरान प्रस्तावित तृतीय पक्ष मूल्यांकन का अध्ययन होगा ताकि भविष्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए अच्छे सुझाव लाए

		जा सके।
12	10.14	समिति नोट करती है कि सर्वेक्षणों के अनुसार हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसलिए यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि बुजुर्ग प्रसन्न, स्वस्थ, आर्थिक रूप से सबल और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। इस संबंध में समिति ने याद दिलाया कि उन्होंने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण विधेयक, 2019 की जांच की थी और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह बताया गया है कि मंत्रालय में विधेयक का आधिकारिक संशोधन तैयार किया जा रहा है। समिति आशा करती है कि इसे जल्द ही तैयार कर कानून के लिए लाया जाएगा ताकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और उनके कल्याण को ठोस कानूनी सहायता मिल सके। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एवीवाईएवाई, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष आदि को लागू करने के अलावा, मंत्रालय कथित तौर पर कई पहल भी कर रहा है, जिनमें से एक एसएजीई है, जो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन आधारित पोर्टल है जो विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स द्वारा बुजुर्गों के देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच के लिए वन स्टॉप एक्सेस है। 5 जून, 2021 को खोला गया यह पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्र, खाद्य और धन प्रबंधन, कानूनी मार्गदर्शन के साथ-साथ वित्त से संबंधित तकनीकी पहुंच से जुड़े क्षेत्रों में नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर स्टार्ट अप को चयनित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करेगा। ऐसे स्टार्ट अप को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने हैं। इस नई पहल की सराहना करते हुए समिति को सूचित किया गया है कि एसएजीई पोर्टल के माध्यम से 12 स्टार्ट अप को समर्थन दिया गया है/जा रहा हैं, और पिछले दो वर्षों में इन स्टार्ट अप द्वारा विकसित/विकसित किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के बारे में समिति अवगत होना

		चाहती है। समिति यह जानकर खुश है कि एल्डरलाइन अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी ताकि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निःशुल्क जानकारी, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन, दुराचार और बचाव के मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एल्डरलाइन को चालू रखा है। समिति मंत्रालय के इस इरादे की सराहना करती है कि उसने युवाओं और नवप्रवर्तको को शामिल करने और सामाजिक उद्यमों, तकनीकी स्टार्ट अप, कानूनी और वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और प्रबंधित-देखभाल प्रणालियों के साथ-साथ अनुसंधान और डाटा प्रेरित संगठनों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए बुजुर्गों की देखभाल के कार्यक्रमों को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया है। समिति का मानना है कि इस तरह के प्रयासों के गति पकड़ने से भारत में एक अधिक मजबूत बुजुर्ग देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सकेगा।